



कृषि विभाग जिला-दमोह (म०प्र०)



सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत मैनुअल

कार्यालय उप संचालक कृषि विभाग, दमोह (म०प्र०)

प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम 22/2005 अंग्रेजी भाषा में राजपत्र असाधारण भाग-II 1, पार्ट II 1 सेक्शन 1, नई दिल्ली, मंगलवार, जून, 2005 विधि एवं न्याय मंत्रालय, पृष्ठ 1 लगायत 22 पर प्रकाशित हुआ है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 22/2005 का मूल मन्तव्य यह है कि लोकतांत्रिक शासन में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा जनता की ओर से जनता के लिये शासन संचालन में सरकार और सरकारी मशीनरी, जनता के प्रति जवाबदेह हो, उत्तरदायी हो (accountability हो), साथ ही सरकार और उसकी मशीनरी के क्रियाकलाप में पारदर्शिता (Transparency) हो ;प्रत्येक लोक अधिकारी (public Authority) एवं केन्द्रीय/ राज्य सूचना आयोगों के गठन द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि वह भारतीय नागरिक के अनुरोध (request) पर सूचना की पहुँच उसे अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन में उपलब्ध कराये एवं समयावधि में इस हेतु आवश्यक कदम उठाये। केवल संवेदनशील सूचना की गोपनीयता का परिरक्षण किये जाने के उपबन्ध किये गये हैं, किन्तु इस आड़ में मनमाने ढंग से दुर्व्यवहार अपेक्षित नहीं है । शुद्ध, सही सूचना विधिक प्रावधानों के अनुसार देय है और दायित्व बोध का दिशा निर्देश इस अधिनियम में है । इसमें सन्देह नहीं कि इसका यथार्थ लोकतांत्रिक शासन/प्रशासन की मूल भावना को पुष्ट करेगा तथा राष्ट्र को नूतन विकास में अग्रसर करने में सहायक होगा ।

इस मैनुअल का मुख्य उद्देश्य यह है कि जन साधारण इस लोक प्राधिकरण का उद्देश्य, कर्तव्य, एवं इससे संबंधित सामान्य जानकारी से अवगत हो सकें । यह मैनुअल जनप्रतिनिधियों, आम जनता एवं अन्य शासकीय विभागों के लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा ।

इस हस्त पुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अन्य जानकारी इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत विहित प्रारूप में लोक सूचना अधिकारी को अपना आवेदन देकर निर्धारित फीस एवं लागत की राशि जमा कर निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर सकता है ।

मैन्युअल एक- संगठन की विशिष्टियों, कृत्यों एवं कर्त्तव्य

दमोह जिला राज्यों के पुनर्गठन के पूर्व सागर जिले का एक भाग था, और सन 1956 में इसको अलग जिला बनाया गया । इस जिले का नामकरण जिला मुख्यालय दमोह से किया गया है । दमोह का अर्थ निवासित क्षेत्र है । परम्परागत रूप से इसका नाम दमयंती से जुड़ा है, जिन्हें दमोह शहर की संस्थापिका माना जाता है । यह नवनिर्मित सागर संभाग के पूर्वी भाग में स्थित है । दमोह जिला भौगोलिक दृष्टि से 23.09" एवं 79.57" पूर्वी देशान्तरों में फैला हुआ है । मकर रेखा इसके दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है । जिले का आकार असमतल है इसकी तुलना जग के उर्ध्वाधर हिस्से और उत्तर दक्षिण से जाती हुई ग्लोबीय रेखाओं से की जा सकती है जो कि आयरलैंड की तरह फैली है । यह उत्तर पूर्व में जिला छतरपुर से, पश्चिम में सागर से, दक्षिण में नरसिंहपुर से, पूर्व और दक्षिण पूर्व में जबलपुर-कटनी से और पूर्व में पन्ना जिले से घिरा है । सम्पूर्ण जिला मालवा बुन्देलखंड के पठार पर फैला हुआ है ।

दमोह जिला विशाल विन्ध्याचल पर्वत के दक्षिण पूर्वी भाग में फैला हुआ है । सोनार घाटी जिले के पठार को दो हिस्सों में विभाजित करती है । दक्षिण में बड़ा भू-भाग और उत्तर पश्चिम में सकरा क्षेत्र है । यह विन्ध्याचल श्रेणी, विन्ध्य कगार, और बुन्देलखंड उच्च भूमि नामक तीन प्राकृतिक उपसंभागों में बटा हुआ है । जिला पुनः दक्षिणी पठार, सोनार घाटी और उत्तर पश्चिम पहाड़ी नामक तीन खंडों में विभक्त है । दक्षिणी पठार समुद्र तल से लगभग 450 मीटर ऊँचाई पर फैला हुआ है ।

जिले का जल प्रवाह केन एवं इसकी सहायक नदियों के माध्यम से यमुना नदी में गिरती है । इसमें कुछ भाग अपवाह है । स्थानीय जल विकास पद्धति में सोनार एवं व्यारमा नदी का बहाव उत्तर पूर्व की ओर है । इन नदियों में वर्ष भर पानी रहता है, और इनकी सहायक नदियाँ मौसमी है । जबकि बाढ़ के कारण क्षेत्र को काफी असुविधा और हानि होती है । गर्मी में पीने का पानी और अन्य उपयोग के पानी का अभाव रहता है । जिले की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सोनार सागर जिले के दक्षिण पश्चिम में निचली पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है । यह घाटी दमोह में हवेली कहलाती है । यह जिले की मुख्य गेहूँ उपज के लिए काली उपजाऊ मिट्टी का समतल मैदान है । सोनार का मुख्य प्रवाह दायी ओर कोपरा एवं व्यारमा और बायीं ओर बेबस नदी है । कृषि जलवायु एवं फसल क्षेत्र के दृष्टिकोण से दमोह जिला **विन्ध्यन प्लेटो** के अन्तर्गत गेहूँ क्षेत्र **व्हीट जोन** के अन्तर्गत आता है ।

जिले में खरीफ का सामान्य क्षेत्र 123 हजार हैक्टर तथा रबी 225.50 हजार हैक्टर है । खरीफ की प्रमुख फसलें- धान, ज्वार, मूँग, उड़द, सोयाबीन, तिल एवं मूँगफली है । रबी की प्रमुख फसलें- गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई/ सरसों है ।

जिले में सात विकासखण्ड— दमोह, जबेरा, तेन्दूखेड़ा, पथरिया, हटा, पटेरा, एवं बटियागढ़ है । जिले में कुल कृषक संख्या 1,30,685 है जिनमें 19,642 अनुसूचित जाति, 15,451 अनुसूचित जनजाति एवं 95,592 सामान्य श्रेणी के कृषक हैं । इनमें से लघु कृषक 28,850 सीमांत कृषक 51,035 एवं अन्य कृषक 50,000 हैं ।


जिले में सभी शासकीय एवं निजी स्त्रोतों से कुल 31 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई होती है । जिले की औसत सामान्य वर्षा 1224.5 मिलीमीटर है ।

जिले में कृषि आदान सामग्री भंडारण हेतु 5 डबललॉक केन्द्र— दमोह, जबेरा, पथरिया, तेन्दूखेड़ा एवं हटा है । कृषि आदान सामग्री वितरण हेतु जिले में सहकारिता, निजी, मण्डी एवं एग्रो के कुल 138 वितरण केन्द्र स्थित हैं ।

उप संचालक कृषि कार्यालय के उद्देश्य एवं कर्तव्य—

- जिले के विभिन्न स्तरों के कृषि विस्तार कार्यकर्त्ताओं के दल के मुखिया के रूप में विस्तार कार्यों को नेतृत्व कर दिशा दर्शन/ मार्गदर्शन देना एवं संचालन करना ।
- कृषि विकास से संबंधित अन्य विभागों एवं संस्थाओं से सामंजस्य बनाकर जिले के कृषि आदान सामग्री की आपूर्ति एवं कृषि साख की पूर्ति सुनिश्चित करना ।
- कृषि आदानों—उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक दवा का क्रय—विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति जारी करना एवं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना ।
- जिले का फसल कार्यक्रम तैयार करना उसका क्रियान्वयन मैदानी अमले के सुनिश्चित करना ।
- जिले में भू एवं जल सबर्धन योजनाओं की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृतियों, कार्यक्रम निर्धारण, कार्यों निरीक्षण एवं मानीटरिंग करना ।
- शासन/ विभाग द्वारा योजनाओं में दिए गए लक्ष्यों की भौतिक एवं वित्तीय पूर्ति सुनिश्चित करना एवं प्रगति प्रतिवेदन समय पर वरिष्ठालयों को प्रेषित करना ।
- जिला स्तरीय कृषि स्थाई समिति के सचिव के दायित्वों का निर्वाहन करना एवं विभागीय योजनाओं की स्वीकृतियों प्राप्त करना ।
- कृषि विकास कार्यों का सतत् अवलोकन एवं मानीटरिंग कर मार्गदर्शन देना एवं उनका रिकार्ड्स सुव्यवस्थित ढंग से रखवाना ।
- क्षेत्र का भ्रमण कर कृषकों की समस्याओं का निराकरण हेतु कृषि वैज्ञानिकों एवं डायग्नोस्टिक टीम गठन करना एवं विभागीय कर्मशालाओं में कृषकों की समस्याओं पर चर्चा कर निराकरण कराना ।
- कृषि विस्तार हेतु श्रुत्य साधनों, प्रचार—प्रसार सामग्री, कृषक प्रशिक्षण, कृषि प्रदर्शनी, कृषक भ्रमण, कृषि मेला का आयोजन एवं प्रेस विज्ञप्ति जारी करना ।
- जिला प्रमुख के रूप में जिले के समस्त कर्मचारियों के क्लेम समय पर उन्हें प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना ।

संगाठालक ढाचॉ-



विभिन्न कार्यालयों की जानकारी

मुख्य कार्यालय

उप संचालक कृषि, रानी दुर्गावती संयुक्त जिला कार्यालय परिसर,
जबलपुर नाका दमोह म0प्र0
फोन नम्बर— 07812-222018(कार्यालय) 07812-227998(निवास)

सहयोगी कार्यालय

- 1 अनुविभागीय कृषि अधिकारी, अनुभाग—दमोह, विकासखंड कार्यालय परिसर दमोह
फोन नम्बर—
- 2 अनुविभागीय कृषि अधिकारी, अनुभाग—हटा, विकासखंड कार्यालय परिसर हटा जिला—दमोह म0प्र0
फोन नम्बर—
- 3 सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, उपसंभाग—दमोह, ट्रैक्टर यूनिट कार्यालय परिसर, दमोह
फोन नम्बर—
- 4 सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, उपसंभाग—हटा, चंडी जी मंदिर के पास, पन्ना रोड, हटा जिला—दमोह म0प्र0
फोन नम्बर—
- 5 प्रक्षेत्र प्रबंधक, शासकीय कृषि प्रक्षेत्र जबेरा, जिला—दमोह म0प्र0
फोन नम्बर—
- 6 वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, दमोह
फोन नम्बर—
- 7 वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड जबेरा जिला—दमोह म0प्र0
फोन नम्बर—
- 8 वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड—तेन्दूखेड़ा, जिला—दमोह म0प्र0
फोन नम्बर—
- 9 वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड—पथरिया, जिला—दमोह म0प्र0
फोन नम्बर—
- 10 वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड—हटा, जिला—दमोह म0प्र0
फोन नम्बर—
- 11 वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड—पटेरा, जिला—दमोह म0प्र0
फोन नम्बर—
- 12 वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड—बटियागढ़, जिला—दमोह म0प्र0
फोन नम्बर—

सामान्यतः कार्यालय का समय प्रातः 10.30 से सांय 5.30 बजे तक है, परन्तु आवश्यकतानुसार कार्य पड़ने पर निर्धारित समय के पश्चात भी कर्मचारियों द्वारा कार्य किया जाता है ।

मैन्युअल (2) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य—

उप संचालक कृषि शक्तियाँ—

- 1— जिले में विभागीय प्रशासकीय नियंत्रण बनाये रखने हेतु अधीनस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों/ अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही शासन/ विभाग को प्रेषित करना ।
- 2— म0प्र0वित्तीय संहिता एवं **Book of Financial Power** के तहत प्रदत्त शक्तियाँ ।
- 3— उर्वरक अधिनियम 1985, बीज अधिनियम 1966 एवं पौध संरक्षण दवा अधिनियम 1968 में प्रदत्त शक्तियाँ ।
- 4— शासन/ विभाग के द्वारा समय-समय पर प्रदत्त शक्तियाँ ।

कर्तव्य—

- 1— जिले में कृषि विकास से संबंधित संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना ।
- 2— शासकीय योजनाओं का सुचारु रूप से क्रियान्वयन करना ।
- 3— कृषकों की समस्याओं का तत्परता से क्रियान्वयन करना ।
- 4— जिला कृषि स्थाई समिति के सचिव के दायत्वों का निर्वाहन करना ।
- 5— भूमि एवं जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति देना एवं निरीक्षण / मानीटरिंग करना ।
- 6— शासन/ विभाग द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य दायित्व ।

सहायक संचालक कृषि/ विषय वस्तु विशेषज्ञ वर्ग-2 शक्तियाँ—

- 1— उप संचालक कृषि द्वारा प्रदत्त अधिकार ।
- 2— कृषि विकास हेतु नवीन अनुसंधानों की जानकारी क्षेत्रीय कृषि कार्यकर्त्ताओं को उपलब्ध कराना ।
- 3— उर्वरक अधिनियम 1985, बीज अधिनियम 1966 एवं पौध संरक्षण दवा अधिनियम 1968 में प्रदत्त शक्तियाँ निरीक्षक के रूप में दायित्वों का निर्वाहन करना ।
- 4— शासन/ विभाग के द्वारा समय-समय पर प्रदत्त शक्तियाँ ।

कर्तव्य—

- 1— कार्यालय में शासकीय योजनाओं का सुचारु रूप से क्रियान्वयन कराना ।
- 2— कृषकों एवं क्षेत्रीय कृषि कार्यकर्त्ताओं की समस्याओं का निराकरण करना ।
- 3— कार्यालय में प्रभार की शाखाओं से संबंधित नस्तियों पर अभिमत देकर निर्णय हेतु सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना ।
- 3— शासन/ विभाग द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य दायित्व ।

अनुविभागीय कृषि अधिकारी शक्तियाँ—

- 1— अनुभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रेषित करना ।
- 2— म0प्र0वित्तीय संहिता एवं **Book of Financial Power** के तहत प्रदत्त शक्तियाँ ।
- 3— अनुभाग के अन्तर्गत उर्वरक अधिनियम 1985, बीज अधिनियम 1966 एवं पौध संरक्षण दवा अधिनियम 1968 में प्रदत्त शक्तियाँ निरीक्षक के रूप में दायित्वों का निर्वाहन करना ।
- 4— शासन/ विभाग के द्वारा समय-समय पर प्रदत्त शक्तियाँ ।

कर्तव्य—

- 1— शासकीय योजनाओं का सुचारु रूप से क्रियान्वयन करना ।
- 2— कृषकों की समस्याओं का तत्परता से क्रियान्वयन करना ।
- 3— शासन/ विभाग द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य दायित्व ।

सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी शक्तियाँ—

- 1— उप संभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रेषित करना ।
- 2— म0प्र0वित्तीय संहिता एवं **Book of Financial Power** के तहत प्रदत्त शक्तियाँ ।
- 3— भूमि एवं जल संरक्षण योजना से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन विभागीय एजेंसी के रूप में कार्य कराना ।
- 4— शासन/ विभाग के द्वारा समय-समय पर प्रदत्त शक्तियाँ ।

कर्त्तव्य—

- 1— शासकीय योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन करना ।
- 2— कृषकों की समस्याओं का तत्परता से क्रियान्वयन करना ।
- 3— शासन/ विभाग द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य दायित्व ।

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी—

कर्त्तव्य—

- 1— शासकीय योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन करना, अभिलेख संधारण एवं समय-समय पर प्रगति प्रतिवेदन वरिष्ठालयों को देना ।
- 2— विकासखंड अन्तर्गत उर्वरक अधिनियम 1985, बीज अधिनियम 1966 एवं पौध संरक्षण दवा अधिनियम 1968 में प्रदत्त शक्तियाँ निरीक्षक के रूप में दायित्वों का निर्वाहन करना ।
- 3— कृषकों की समस्याओं का तत्परता से क्रियान्वयन करना ।
- 4— जनपद स्तरीय कृषि स्थाई समिति के सचिव के दायित्वों का निर्वाहन करना ।
- 5— वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (कार्यालयीन) तकनीकी सहायक के रूप में कार्यालयीन तकनीकी शाखाओं को याजनाओं के क्रियान्वयन में आवश्यक मार्गदर्शन देना एवं नस्तियों पर टीप अंकित कर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना तथा समस्त नियत कालिक प्रगति प्रतिवेदनों को समय पर भेजना एवं समस्त बैठकों हेतु जानकारियाँ एकत्रित कर प्रस्तुत करना ।
- 6— शासन/ विभाग द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य दायित्व ।

कृषि विकास अधिकारी—

कर्त्तव्य—

- 1— सर्किल में शासकीय योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन करना ।
- 2— कृषि विकास अधिकारी (B.Sc.Ag.)सर्किल अन्तर्गत उर्वरक अधिनियम 1985, बीज अधिनियम 1966 एवं पौध संरक्षण दवा अधिनियम 1968 में प्रदत्त शक्तियाँ निरीक्षक के रूप में दायित्वों का निर्वाहन करना ।
- 3— कृषकों की समस्याओं का तत्परता से क्रियान्वयन करना ।
- 4— सर्किल में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के साथ मिलकर फसल कार्यक्रम तैयार कराना एवं उसका क्रियान्वयन, अभिलेख संधारण एवं समय-समय पर प्रगति प्रतिवेदन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को देना ।
- 5— कृषि विकास अधिकारी (भूमि संरक्षण) अपने क्षेत्र के जलग्रहण क्षेत्र की योजनाओं एवं भूमि/ जल संरक्षण से संबंधित योजनाएँ, भू-मापक के सहयोग से तैयार करेंगे एवं अनुमोदन तथा स्वीकृति उपरांत सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी के निर्देशानुसार क्रियान्वयन करेंगे ।
- 6— कृषि विकास अधिकारी (कार्यालयीन) प्रभार की शाखा से संबंधित समस्त अभिलेख सुरक्षित व व्यवस्थित रखना, कार्य समयसीमा में सम्पन्न करना, सभी नियत कालिक प्रगति प्रतिवेदनों को समय पर भेजना, नस्तियों की गोपनीयता बनाये रखना एवं कार्यालय में अनुशासन बनाये रखना ।
- 7— शासन/ विभाग द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य दायित्व ।

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी— कर्त्तव्य—

- 1— क्षेत्र में नियत हार भ्रमण कार्यक्रम अनुसार ग्रामों का भ्रमण कर कृषकों को कृषि विभागीय योजनाओं की जानकारी, सामायिक सलाह एवं मार्गदर्शन तथा समस्याओं का निराकरण करना ।
- 2— क्षेत्र में शासकीय योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु पात्र हितग्राहियों का चयन करना एवं चयनित सूची वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना एवं सूची की एक प्रति ग्रामसभा में रखना ।
- 2— नियमित रूप से दैनिक दैनिकी भरना एवं पाक्षिक बैठक में अनिवार्य रूप से लाना ।
- 3— ग्राम वार मूलभूत जानकारी पंजी, हार भ्रमण पंजी, लक्ष्य-पूर्ति पंजी, फसल कटाई पंजी, प्रदर्शन / मिनिकिट पंजी एवं स्टॉक पंजी आदि संधारित करना ।
- 4— प्राकृतिक आपदा-सूखा, अतिवृष्टि, ओला-पाला, कीट-व्याधि आदि की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को ग्रामवार व कृषकवार देना ।
- 5— राजस्व विभाग की योजना के अन्तर्गत फसल कटाई प्रयोगों में भाग लेना तथा फसल कटाई के आँकड़े एकत्र कर वरिष्ठालय को भेजना ।
- 6— शासन द्वारा घोषित ग्रामीण सचिवालय व्यवस्था में सहयोग देना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु जारी निर्देशों का पालन करना ।
- 7— शासन/ विभाग द्वारा गोद लिए ग्राम, सम्पर्क ग्राम, गोकुल ग्राम एवं अन्य ग्रामों में विभागीय योजनायें क्रियान्वयन एवं कृषकों की समस्याओं का समाधान कर अभिलेख संधारित करना ।
- 8— अपने क्षेत्र के कृषकों को उन्नत बीज, उर्वरक, पौध संरक्षण रसायन, कल्चर एवं कृषि यंत्र के उपयोग हेतु प्रेरित करेंगे एवं माँग संबंधित अधिकारियों तक पहुँचायेंगे। इस कार्य में वे सहकारी समितियों के समिति प्रबंधकों का सहयोग लेंगे।
- 9— ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (कार्यालयीन) अपनी प्रभारी की शाखा से संबंधित समस्त अभिलेख सुरक्षित व व्यवस्थित रखना, नस्ती को समयसीमा में निर्णय हेतु प्रस्तुत करना, समस्त नियत कालिक प्रगति प्रतिवेदन समय पर वरिष्ठालय को भेजना, नस्ती की गोपनीयता बनाये रखना एवं कार्यालय में अनुशासन बनाये रखना आदि ।
- 10— शासन/ विभाग द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य दायित्व ।

सहायक ग्रेड-1 कर्त्तव्य—

- 1— कार्यालयीन कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना ।
- 2— प्रतिदिन प्राप्त होने वाले पत्रों को प्रविष्टि उपरांत संबंधित शाखाओं में वितरित करना ।
- 3— लोकसभा, विधानसभा, राज्य सभा प्रश्न संबंधित पत्र, समयावधि पत्र एवं आवश्यक पत्र आदि बिना बिलम्ब के उप संचालक कृषि के समक्ष प्रस्तुत करना एवं उनकी पंजी संधारित करना ।
- 4— जिला स्तरीय परामर्शदात्री बैठक आहूत करना एवं जिला रोस्टर पंजी संधारित करना ।
- 5— लिपिक वर्गीय शाखा की नस्तियों का परीक्षण उपरांत सक्षम अधिकारी को अग्रेषित करना ।
- 6— नियम एवं परिपत्रों में संशोधन को यथा स्थान लगाना ।
- 7— शासन/ विभाग द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य दायित्व ।

लेखापाल कर्त्तव्य—

- 1— कार्यालय में लेखा शाखा में होने वाले समस्त कार्यों में कोष एवं वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना एवं कराना ।
- 2— लेखा शाखाओं से संबंधित समस्त नस्तियों पर टीप अंकित कर उचित माध्यम से सक्षम अधिकारी के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत करना ।
- 3— बजट तैयार करना, मासिक आय—व्यय पत्रक तैयार करना, आवंटन अनुसार देयकों को तैयार करवाना, महालेखाकार एवं विभागीय आडिट कंडिका का निराकरण करवाना आदि ।
- 4— समय—समय पर रोकड़ पुस्तिका अनुसार रोकड़ का भौतिक सत्यापन करना ।
- 5— शासन/ विभाग द्वारा समय—समय पर सौंपे गये अन्य दायित्व ।

सहायक ग्रेड—2/3 कर्त्तव्य—

- 1— शाखा से संबंधित समस्त अभिलेखों को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित रखना ।
- 2— शाखा से संबंधित नस्तियों को समयसीमा में निर्णय हेतु प्रस्तुत करना एवं निर्णय उपरांत पालन सुनिश्चित करना ।
- 3— समस्त नियत कालिक प्रगति प्रतिवेदन/ जानकारियों समय पर भेजना ।
- 4— नस्तियों की गोपनीय बनाये रखना ।
- 5— कार्यालय में अनुशासन बनाये रखना ।
- 6— शासन/ विभाग द्वारा समय—समय पर सौंपे गये अन्य दायित्व ।

भृत्य— कर्त्तव्य—

1. कार्यालयीन डाक का वितरण करना ।
2. वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों/ निर्देशों का पालन करना ।
3. कार्यालय समय पर खोलना तथा बंद करना ।
4. कार्यालय में साफ—सफाई एवं सुव्यवस्थित रखना ।
5. कार्यालय में अनुशासन बनाये रखना ।

कार्यालयीन एवं मैदानी कार्य विभाजन

क्रम	नाम	पदनाम	कर्त्तव्य विवरण	शाखा प्रभारी
1	श्री के० एल० कोष्टा	उप संचालक कृषि दमोह	जिले में विभाग का प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण	समस्त कार्यालयीन शाखा
2	श्री एम० आर० अहिरवार	सहायक संचालक कृषि (लेखा / स्था०)	लेखा शाखा स्थापना शाखा स्टैनो / कम्प्यूटर शाखा स्टोर शाखा आवक शाखा जावक शाखा शासकीय कृषि प्रक्षेत्र जबेरा सम्पूर्ण प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार	श्री जी०एस०गुप्ता श्री के०के०सोनी श्रीमति वीणा खांडेकर श्री राजीव खोसला कु० कविता मिश्रा श्री जी०एस०ठाकुर श्री एस०के० सिंह श्री एस०एस०चौहान श्री के०डी०व्यास श्री एम०के०राय श्री एम०जी०कोरी
3	श्री पी० एल० गुप्ता	सहायक संचालक कृषि एवं अनुविभागीय कृषि अधिकारी, हटा	कार्यालयीन तकनीकी शाखाओं – तकनीकी सहायक बीज शाखा प्रक्षेत्र शाखा लघु सिं० / उर्वरक शाखा भूमि संरक्षण शाखा लायसेंस शाखा पौध संरक्षण शाखा सांख्यिकीय शाखा बायोगैस शाखा पंचज शाखा प्रशिक्षण शाखा जिला पंचायत समिति अनुविभागीय कृषि अधि० हटा के सम्पूर्ण प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार – लेखा शाखा स्थापना शाखा स्टोर शाखा तकनीकी शाखा विकासखंड-हटा विकासखंड-पटेरा विकासखंड-बटियागढ़	श्री सी०के०साहू श्री आर०के०राजपूत श्री एम०एस०खान श्री ए०एल०गुप्ता श्री जी०पी०बेन श्री पी०एस०राजपूत श्री टी०आर०ठाकुर श्री ए०एस०ठाकुर श्री आर०एस०शर्मा श्री आर०एस०पाठक श्री श्री एम०के०नामदेव श्री डी०एस०राजपूत श्री व्ही०पी०खरे श्री बी०बी०लोधी श्री बी०पी०लोधी श्री सी०पी०सिंह
4	श्री एम० के० प्रजापति	अनुविभागीय कृषि अधिकारी, दमोह	अनुविभागीय कृषि अधिकारी दमोह के प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार अन्तर्गत- लेखा शाखा स्थापना शाखा स्टोर शाखा तकनीकी शाखा विकासखंड-दमोह विकासखंड-जबेरा विकासखंड-तेन्दूखेड़ा विकासखंड-पथीरया	श्री अमरनाथ अहिरवार श्री एस० एल० बरदिया श्री जागेन्द्र सिंह श्री विजय कुमार जैन श्री एच०जी०सोनी श्री डी०के०साहू श्री एम०एल० ठाकुर श्री व्ही०एस०रैपुरिया


क्रम	नाम	पदनाम	कर्त्तव्य विवरण	शाखा प्रभारी
5	श्री आर0एस0इंदुरिया	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी दमोह एवं हटा	उपसंभाग-दमोह लेखा शाखा स्थापना शाखा स्टोर शाखा तकनीकी शाखा कृ0वि0अ0दमोह कृ0वि0अ0जबेरा कृ0वि0अ0पथरिया कृ0वि0अ0तेन्दूखेड़ा उपसंभाग-हटा लेखा शाखा स्थापना शाखा स्टोर शाखा तकनीकी शाखा कृ0वि0अ0हटा कृ0वि0अ0पटेरा कृ0वि0अ0बटियागढ़	श्री आर0सी0अहिरवाल श्री डी0पी0रोहितास श्री ए0के0सिंह श्री आर0के0जैन श्री आर0के0जैन श्री आर0एन0पाठक श्री आर0के0जैन श्री ओ0पी0एस0नरवरिया श्री बी0के0शर्मा श्री डी0पी0नायक श्री पी0एल0चक्रवर्ती श्री एन0के0मिश्रा श्री जे0पी0विदुआ श्री एस0बी0सिंह श्री पी0एस0ठाकुर

जिला दमोह कृषि विभाग स्थापना सेट-अप (दिनांक 30-9-2005 की स्थिति)

क्रम	संवर्ग का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	उप संचालक कृषि	01	01	00
2	सहायक संचालक कृषि	04	02	02
3	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	02	01	01
4	अनुविभागीय कृषि अधिकारी	02	01	01
5	विषय वस्तु विशेषज्ञ वर्ग-3	06	01	05
6	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	09	07	02
7	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	04	02	02
8	कृषि विकास अधिकारी	35	15	20
9	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	179	123	56
10	सर्वेयर	40	22	18
11	मान चित्रकार	02	00	02
12	अनुरेखक	02	00	02
13	सिनेमा आपरेटर	01	01	00
14	अनुसंधान सहायक	01	00	01
15	फोटो ग्राफर	01	01	00
16	स्टैनो	01	00	01
17	सहायक ग्रेड-1	01	00	01
18	लेखापाल	03	02	01
19	सहायक ग्रेड-2	09	06	03
20	सहायक ग्रेड-3	18	10	08
21	वाहन चालक	03	03	00
22	चतुर्थे श्रेणी	27	19	08
	योग-	351	218	133

मैनुअल (3) निर्णय लेने की प्रक्रिया-

कार्यालय में निर्णय लेने हेतु नस्ती का संधारण शाखा प्रभारी से सहायक ग्रेड-1/ तकनीकी सहायक द्वारा विषय वस्तु दिशा-निर्देश के तहत परीक्षण कर सहायक संचालक कृषि के माध्यम से निर्णय हेतु सक्षम अधिकारी (उप संचालक कृषि) को प्रस्तुत की जाती है। सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्णय लिया जाता है, जिन प्रकरणों में निर्णय लिया जाना संभव नहीं होता है उन्हें संचालक कृषि म0प्र0 भोपाल को भेजा जाता है ।



मैनुअल (4) कृत्यों के निर्वाहन के लिए स्थापित मानक / नियम

(1)

अभिलेख का नाम	बीज अधिनियम	अभिलेख का प्रकार	अधिनियम –1966
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय	भारत शासन द्वारा लागू बीज अधिनियम-1966 के तहत बीज विक्रय किए जाने वाले बीज की गुणवत्ता एवं व्यवसाय पर नियंत्रण करना।		

(2)

अभिलेख का नाम	कीटनाशक अधिनियम	अभिलेख का प्रकार	अधिनियम –1968
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय	भारत शासन द्वारा लागू इस अधिनियम के तहत कीटनाशकों के क्रय-विक्रय, आगम-निर्गम, परिवहन तथा मानव-जानवरों के प्रति दुष्प्रभाव रोकने को संबंधी कार्यवाही की जाती है।		

(3)

अभिलेख का नाम	उर्वरक अधिनियम	अभिलेख का प्रकार	अधिनियम –1985
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय	भारत शासन द्वारा लागू इस अधिनियम के तहत उर्वरक भंडारण, वितरण, मूल्य नियंत्रण, उर्वरक गुणवत्ता आदि पर नियंत्रण किया जाता है।		

उपरोक्त अभिलेख क्रमांक-1 से 3 तक की प्रति कहीं से प्राप्त कर सकते हैं:-

अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने की शुल्क (यदि हो तो)

पता- उप संचालक कृषि, दमोह
रानी दुर्गावती संयुक्त जिला
कार्यालय परिसर, द्वितीय तल
फोन- 07812-222018
ईमेल-agridam@mp.nic.in
शासन द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।

मैनुअल (5) कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका अभिलेख—

- म0प्र0शासन एवं विभागाध्यक्ष द्वारा समय समय पर प्रसारित निर्देश एवं अनुदेश ।
- अन्य विभागाध्यक्षों, कमिश्नर एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देश एवं अनुदेश ।
- लोकसभा एवं विधानसभा द्वारा पारित विभिन्न अधिनियम ।
- म0प्र0शासन के प्रमुख निम्नानुसार अधिनियम—
 1. म0प्र0 वेतन निर्धारण नियम
 2. म0प्र0 सामान्य पुस्तक परिपत्र
 3. म0प्र0 मूलभूत नियम भाग-1 एवं 2
 4. म0प्र0 विभागीय जॉच प्रक्रिया संहिता
 5. म0प्र0 अवकाश नियम
 6. म0प्र0 यात्रा भत्ता नियम
 7. म0प्र0 चिकित्सा परिचर्या नियम
 8. म0प्र0 भंडार क्य नियम
 9. म0प्र0 सामान्य भविष्य निधि नियम
 10. परिवार कल्याण निधि समूह बीमा योजना एवं सह-बचत नियम
 11. म0प्र0 पेंशन नियम
 12. म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966
 13. म0प्र0 गृह निर्माण अग्रिम नियम ।
 14. **Book of Financial Power, Vol-I&II**
 15. म0प्र0सिविल सेवा आचरण नियम 1965
 16. उर्वरक अधिनियम 1985
 17. बीज अधिनियम 1966
 18. कीटनाशक अधिनियम 1968
 19. भूमि सुधार अधिनियम 1967
 20. म0प्र0कोष एवं वित्तीय संहिता भाग-1 एवं 2

मैनुअल (6) लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण—

क्रम0	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का विवरण	धारक / नियंत्रणाधीन
1	2	3	4
1	उपस्थिति पंजी	कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति का विवरण	स्थापना शाखा
2	सेवा पुस्तिका	अधिकारियों / कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवरण	स्थापना शाखा
3	स्थापना पंजी	स्वीकृत अमले एवं पदस्थी की जानकारी	स्थापना शाखा
4	वेतनवृद्धि पंजी	कर्मचारी / अधिकारी वार वेतनवृद्धि स्वीकृति का विवरण	स्थापना शाखा
5	पदक्रम सूची	वरिष्ठालय से प्राप्त विभिन्न संवर्गों की पदक्रम सूचियाँ	स्थापना शाखा
6	अचल सम्पत्ति पंजी	कर्मचारी / अधिकारी वार अचल सम्पत्ति विवरण	स्थापना शाखा
7	पेंशन प्रकरण पंजी	कर्मचारी वार पेंशन प्रकरणों का विवरण	स्थापना शाखा
8	अनुकम्पा नियुक्ति पंजी	अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों का विवरण	स्थापना शाखा
9	एम.पी.टी.सी.—6 बुक पंजी	एम.पी.टी.सी.—6 बुक विवरण	स्थापना शाखा
10	आवंटन पंजी	जिले को प्राप्त आवंटन का विवरण	लेखापाल
11	मासिक आय—व्यय पंजी	माह वार आय—व्यय का विवरण	लेखापाल
12	आडिट कंडिका पंजी	आडिट कंडिका वार विवरण	लेखापाल
13	कन्टीजेन्ट रजिस्टर	बिल वार विवरण	लेखापाल
14	निरीक्षण रोस्टर नस्ती	कार्यालय वार निरीक्षण कार्यक्रम	लेखापाल
15	विभागीय परामर्शदात्री पंजी	बैठक वार कार्यवाही विवरण	लेखापाल
16	कैश बुक	रोकड़ आय—व्यय की जानकारी	कैशियर शाखा
17	एम.पी.टी.सी.6 बुक	राजस्व प्राप्ति का विवरण	कैशियर शाखा
18	एडवांस रजिस्टर	अग्रिम भुगतान का विवरण	कैशियर शाखा
19	बैंक ड्राफ्ट रजिस्टर	बैंक ड्राफ्टों का विवरण	कैशियर शाखा
20	चालान पंजी	शासकीय जमा राशि का विवरण	कैशियर शाखा
21	पावती रसीद पंजी	भुगतान किए गए देयको की पावती	कैशियर शाखा
22	बिल रजिस्टर	कोषालय में प्रस्तुत बिलो का विवरण	बिल शाखा
23	सामान्य भविष्य निधि कटौत्रा पंजी	कर्मचारियों की माह वार सामान्य भविष्य निधि कटौत्रा का विवरण	बिल शाखा
24	डी0पी0एफ0कटौत्रा पंजी	कर्मचारियों की माह वार डी0पी0एफ0 कटौत्रा का विवरण	बिल शाखा
25	वेतन / स्थानान्तरण अग्रिम पंजी	कर्मचारी द्वारा लिए गए अग्रिम राशि का विवरण	बिल शाखा

क्रम0	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का विवरण	धारक / नियंत्रणाधीन
1	2	3	4
26	अनाज अग्रिम पंजी	कर्मचारियों द्वारा लिए गए अनाज अग्रिम का विवरण	बिल शाखा
27	त्यौहार अग्रिम पंजी	कर्मचारियों द्वारा लिए गए त्यौहार अग्रिम का विवरण	बिल शाखा
28	मोटर साइकिल अग्रिम पंजी	कर्मचारियों द्वारा लिए गए मोटर साइकिल अग्रिम का विवरण	बिल शाखा
29	यात्रा भत्ता पंजी	कर्मचारियों का यात्रा भत्ता वार विवरण	बिल शाखा
30	चिकित्सा प्रतिपूर्ति पंजी	कर्मचारियों का चिकित्सा भत्ता वार विवरण	बिल शाखा
31	आवक पंजी	कार्यालय में प्राप्त होने वाले पत्रों का विवरण	आवक शाखा
32	जावक पंजी	कार्यालय से अन्यत्र भेजे जाने वाले पत्रों का विवरण	जावक शाखा
33	सर्विस पोस्टेज स्टाम्प रजिस्टर	डाक द्वारा भेजे गये पत्रों के लिफाफों पर चस्पा डाक टिकिटों का लेखा	जावक शाखा
34	डाक बुक	भेजे गये पत्रों की पावती	जावक शाखा
35	भ्रमण डायरी नस्ती	अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत भ्रमण डायरियों	स्टैनो शाखा
36	विभागीय जॉच पंजी	विभागीय जॉच से संबंध जानकारी	स्टैनो शाखा
37	निलम्बन पंजी	निलम्बन से संबंध जानकारी	स्टैनो शाखा
38	न्यायालयीन प्रकरण पंजी	न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी	स्टैनो शाखा
39	गोपनीय चरित्रावली पंजी	कर्म0/अधि0 वार गोपनीय चरित्रावलियों का विवरण	स्टैनो शाखा
40	कमोन्नति पंजी	ब्रमोन्नति बैठक का विवरण	स्टैनो शाखा
41	डेड स्टॉक रजिस्टर	उपयोगी सामग्री का विवरण	भंडार शाखा
42	व्रय समिति पंजी	सामग्री क्रय हेतु समिति का कार्यवाही विवरण	भंडार शाखा
43	स्टेशनरी रजिस्टर	स्टेशनरी से संबंधी जानकारी	भंडार शाखा
44	पी.ओ.एल. रजिस्टर	पी0ओ0एल0 से संबंधित जानकारी	भंडार शाखा
45	स्टॉक बुक रजिस्टर	सामग्री प्राप्ति व वितरण का विवरण	भंडार शाखा
46	बिद्युत एवं दूरभाष देयक रजिस्टर	विद्युत एवं दूरभाष से संबंधित बिलों का विवरण	भंडार शाखा
47	वर्दी रजिस्टर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रदाय वर्दी का विवरण	भंडार शाखा
48	बैठक रजिस्टर	कार्यालय में आयोजित बैठक कार्यवाही का विवरण	तकनीकी सहायक
49	साप्ताहिक/मासिक प्रगति प्रतिवेदन नस्ती	नियत कालिक साप्ताहिक एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदनों का विवरण	तकनीकी सहायक

क्रम0	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का विवरण	धारक / नियंत्रणाधीन
1	2	3	4
50	बीज मिनिकिट पंजी	बीज किस्म वार मिनिकिट विवरण	बीज शाखा
51	चालान डिलेवरी बुक	जिला कार्यालय को प्राप्त बीज /मिनिकिट का अन्यत्र भेजने संबंधी विवरण	बीज शाखा
52	सूरजधारा/ अन्नपूर्णा योजना बीज अनुदान पंजी	सूरजधारा/अन्नपूर्णा योजना के तहत बीज अनुदान देयकों का विवरण	बीज शाखा
53	दलहन योजना बीज अनुदान पंजी	दलहन योजना के तहत बीज अनुदान देयकों का विवरण	बीज शाखा
54	तिलहन योजना बीज अनुदान पंजी	तिलहन योजना के तहत बीज अनुदान देयकों का विवरण	बीज शाखा
55	आई.सी.डी.पी. योजना बीज अनुदान पंजी	आई.सी.डी.पी. योजना के तहत बीज अनुदान देयकों का विवरण	बीज शाखा
56	बीज दर नस्ती	समस्त बीजों की दरों का विवरण	बीज शाखा
57	क्षेत्राच्छादन पंजी	विकासखंड वार फसल आच्छादन का विवरण	प्रक्षेत्र शाखा
58	प्रजनक बीज भुगतान पंजी	प्रजनक बीज के देयकों का भुगतान का विवरण	प्रक्षेत्र शाखा
59	गोकुल ग्राम नस्ती	गोकुल ग्राम की अद्यतन जानकारी	प्रक्षेत्र शाखा
60	प्रक्षेत्र फसल कार्यक्रम नस्ती	प्रक्षेत्र जबेरा में लिए जाने वाले फसल कार्यक्रमों की जानकारी	प्रक्षेत्र शाखा
61	तकाबी नस्ती	बीज तकाबी का विवरण	प्रक्षेत्र शाखा
62	उर्वरक नस्ती	उर्वरक भंडारण वितरण का विवरण	उर्वरक शाखा
63	कल्चर नस्ती	कल्चर भंडारण वितरण का विवरण	उर्वरक शाखा
64	नलकूप खनन पंजी	कृषक वार पंजीयन का विवरण	उर्वरक शाखा
65	स्प्रिंकलर सेट पंजी	कृषक वार पंजीयन का विवरण	उर्वरक शाखा
66	राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र दिशा-निर्देश नस्ती	राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र योजनान्तर्गत शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश	भूमि संरक्षण शाखा
67	लघुत्तम/ भूजल संबर्धन दिशा-निर्देश नस्ती	लघुत्तम सिंचाई / भूजल संबर्धन योजनान्तर्गत शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश	भूमि संरक्षण शाखा
68	तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति पंजी	भूमि एवं जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति का विवरण	भूमि संरक्षण शाखा
69	जैविक खेती दिशा-निर्देश नस्ती	जैविक खेती से संबंधी शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश	भूमि संरक्षण शाखा
70	कीटनाशक रसायन देयक पंजी	आइसोपाम दलहन तिलहन मक्का योजनान्तर्गत रसायन देयक का विवरण	पौध संरक्षण शाखा
71	उन्नत कृषि यंत्र अनुदान पंजी	हस्त/ शक्ति चलित उन्नत कृषि यंत्र अनुदान देयकों का विवरण	पौध संरक्षण शाखा

क्रम0	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का विवरण	धारक / नियंत्रणाधीन
1	2	3	4
72	उर्वरक अनुज्ञप्ति पंजी	जिले में उर्वरक थोक/ फुटकर क्रेता एवं विक्रेताओं को प्रदाय लायसेंस का विवरण	लायसेन्स शाखा
73	बीज अनुज्ञप्ति पंजी	जिले में बीज थोक/ फुटकर क्रेता एवं विक्रेताओं को प्रदाय लायसेंस का विवरण	लायसेन्स शाखा
74	कीटनाशक अनुज्ञप्ति पंजी	जिले में कीटनाशक थोक/ फुटकर क्रेता एवं विक्रेताओं को प्रदाय लायसेंस का विवरण	लायसेन्स शाखा
75	उर्वरक गुण नियंत्रण पंजी	जिले में उर्वरक क्रेता एवं विक्रेताओं के यहाँ से लिए गए नमूनों का विवरण	लायसेन्स शाखा
76	बीज गुण नियंत्रण पंजी	जिले में बीज क्रेता एवं विक्रेताओं के यहाँ से लिए गए नमूनों का विवरण	लायसेन्स शाखा
77	कीटनाशक गुण नियंत्रण पंजी	जिले में कीटनाशक क्रेता एवं विक्रेताओं के यहाँ से लिए गए नमूनों का विवरण	लायसेन्स शाखा
78	वर्षा रजिस्टर	दैनिक, माहवार, वर्षवार वर्षा का विवरण	सांख्यिकीय शाखा
79	फसल कटाई रजिस्टर	जिले में आयोजित फसल कटाई प्रयोगों के परिणामों का विवरण	सांख्यिकीय शाखा
80	फसल बीमा नस्ती	फसल बीमा संबंधी दिशा-निर्देशों का विवरण	सांख्यिकीय शाखा
81	मिट्टी परीक्षण नस्ती	मिट्टी परीक्षण संबंधी जानकारी	बायोगैस शाखा
82	बायोगैस रजिस्टर	बायोगैस निर्माण एवं पूर्णता का विवरण	बायोगैस शाखा
83	मासिक कर्मशाला रजिस्टर	मासिक कर्मशाला में उपस्थिति एवं कार्यवाही विवरण	बायोगैस शाखा
84	प्रशिक्षण पंजी	जिला कार्यालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण	प्रशिक्षण शाखा
85	सम्पर्क ग्राम नस्ती	सम्पर्क ग्राम से संबंधी विवरण	पंचज शाखा
86	क्रेडिट कार्ड नस्ती	क्रेडिट कार्ड से संबंधी विवरण	पंचज शाखा
87	पंचज नस्ती	पंचज कार्यक्रम से संबंधी विवरण	पंचज शाखा

मैनुअल (7) नीति निर्धारण एवं कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण—

क्रम	कार्य / योजना का नाम	विहित प्रभारी अधिकारी	निपटारे की समय-सीमा	निर्धारित समयावधि में कार्यवाही न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत करना है उसका पदनाम	शिकायत निराकरण की समयावधि
1	2	3	4	5	6
1	उर्वरक निर्माण एवं व्यवसाय का पंजीयन व नवीनीकरण	उपसंचालक कृषि (उर्व0पंजी0अधि0)	30 दिवस	कलेक्टर	15 दिवस
2	पौध संरक्षण औषधियों के निर्माण का पंजीयन व नवीनीकरण	उपसंचालक कृषि	30 दिवस	कलेक्टर	15 दिवस
3	प्रमाणित बीजों के व्यवसाय का पंजीयन व नवीनीकरण	उपसंचालक कृषि	30 दिवस	कलेक्टर	15 दिवस
4	विभागीय योजनाओं की जानकारी	उपसंचालक कृषि	10 दिवस	कलेक्टर	5 दिवस
5	विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत हितग्राही चयन	मु0का0अधि0 / उपसंचालक कृषि	15 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस
6	विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान का वितरण	मु0का0अधि0 / उपसंचालक कृषि	15 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस
7	विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्रों का वितरण	मु0का0अधि0 / उपसंचालक कृषि	15 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस
8	नलकूल खनन पर अनुदान	मु0का0अधि0 / उपसंचालक कृषि	15 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस
9	कृषक भ्रमण की जानकारी	मु0का0अधि0 / उपसंचालक कृषि	15 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस
10	कृषक प्रशिक्षण की जानकारी	मु0का0अधि0 / उपसंचालक कृषि	15 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस
11	नाडेप विधि से गोबर कम्पोस्ट खाद तैयार करने के संबंध में	मु0का0अधि0 / उपसंचालक कृषि	15 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
12	परकोलेशन टैंक/वाटर हारवेस्टर स्ट्रक्चर के निर्माण के संबंध में ।	मु0का0अधि0 / उपसंचालक कृषि	15 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस
13	वर्षा आश्रित जल ग्रहण क्षेत्र विकास के संबंध में	मु0का0अधि0 / उपसंचालक कृषि	15 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस
14	राष्ट्रीय वायो गैस परियोजनाओं के तहत वायो गैस संयंत्रों के निर्माण हेतु अनुदान	जिला प्रबंधक म0प्र0राज्य कृषि उद्योग विकास निगम	15 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस
15	मिट्टी नमूनों की जांच उपरांत उर्वरक अनुशांसा	उपसंचालक कृषि	15 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस
16	बुल्डोजर/ट्रेक्टर/रोटर वेटर/ड्रिलिंग/बोरिंग उपकरण किराये से देना	क्षेत्र के सहायक कृषि यंत्री	प्रथम आया प्रथम पाया के आधार पर	कृषि यंत्री	7 दिवस

1	2	3	4	5	6
17	म0प्र0 कृषि में महिलाओं की भागीदारी योजना के अंतर्गत सुविधायें एवं क्रियान्वयन संबंधी जानकारी	उपसंचालक कृषि	15 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस
18	विभिन्न मौसमों के अनुरूप अधिघोषित फसलों के अनुसार फसल बीमा के अंतर्गत प्रावधान सुविधायें एवं क्रियान्वयन संबंधी जानकारी	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
19	पौध संरक्षण पर तकनीकी जानकारी बायो एजेंट, बायो तकनीकी की जानकारी	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
20	जैविक खेती योजना अंतर्गत/अनुदान पात्रता के संबंध में जानकारी	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस
21	मैकोमेनेजमेंट योजनायें	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
22	एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम(मोटा अनाज)	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
23	उर्वरक के संतुलित एवं समन्वित उपयोग	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
24	एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन (आई.पी.एम)	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
25	राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास योजना	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
26	कृषि यंत्रीकरण हेतु प्रोत्साहन	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
27	उन्नत एवं विद्युत उत्पादक बीजों का उत्पादन	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
28	जैविक एवं टिकाऊ खेती का विकास	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
29	कृषि विस्तार प्रशिक्षण एवं प्रचार	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
30	सूचना प्रौद्योगिकी का विकास	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
31	भूमिगत जल संवर्धन योजना	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
32	दलहन फसलों का उत्पादन	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
33	तिलहन विकास कार्यक्रम	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
34	मक्का विकास कार्यक्रम	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
35	अन्नपूर्णा योजना (केंद्र)	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
36	सूरज धारा योजना	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
37	अन्नपूर्णा योजना (राज्य)	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
38	सूरजधारा योजना (राज्य)	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
39	कूप निर्माण योजना	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
40	नलकूल योजना	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
41	माइक्रोमाइनर योजना	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
42	सहकारी समितियों में आदान व्यवस्था	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
43	सहकारी समिति में उर्वरक भंडारण व्यवस्था	उपसंचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस

मैनुअल 8— बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं निकायों का विवरण—

कृषि स्थायी समिति—

कृषि स्थायी समिति गाँव की खेती और खेती से जुड़ी पारम्परिक गतिविधियों को बचाने और बढ़ावा देने वाली समिति है ताकि गाँव और उसकी दशा में बदलाव आये । समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जाती है ।

कृषि समिति के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं—

- ❖ गाँव की खेती और खेती से जुड़े काम धंधों को ज्यादा अच्छा और उत्पादक बनाना ।
- ❖ खेती में सहयोग करने वाली गतिविधियों जैसे—जल संरक्षण मिट्टी की गुणवत्ता सुधारना ।
- ❖ खेती सहायक उद्योगों के विकास पर ध्यान देना ।
- ❖ गाँव में सहकारिता की भावना का विकास करना ।

पंचायत निर्वाचन होने के उपरांत जिला स्तरीय कृषि स्थायी समिति का गठन किया जाता है । समिति का सभापति जिला पंचायत सदस्य से में मनोनीत किया जाता है तथा चार जिला पंचायत सदस्य समिति में सदस्य के रूप में रहते हैं । जिसके तहत निम्न विभाग कार्य करते हैं ।

1—	कृषि विभाग	सचिव
2—	सहकारिता विभाग	सदस्य
3—	मत्स्य विभाग	सदस्य
4—	उद्यानिकी विभाग	सदस्य
5—	पशुपालन विभाग	सदस्य

इसी प्रकार प्रत्येक जनपद पंचायत में कृषि स्थाई समिति का गठन होता है, समिति द्वारा उक्तानुसार कार्य किये जाते हैं तथा प्रत्येक माह बैठक आयोजित की जाती है ।

जिला स्तरीय वाटर शेड सलाहकार समिति—

वर्षा आश्रित क्षेत्रों में राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वाटर शेड सलाहकार समिति का गठन म0प्र0शासन कृषि विभाग के पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/एन.डब्ल्यू./एम-2/संकल्प/98-99/280 भोपाल दिनांक 4-2-99 के द्वारा जारी संकल्प के पैरा क्रमांक 6(1) के तहत समिति निम्न बिन्दुओं पर निर्णय लेगी—

- ❖ योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति (राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंध मिशन में दिए अधिकारों के समतुल्य) । यह स्वीकृति एक ही बार जारी होगी एवं योजना के विभिन्न घटकों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति पृथक से प्राप्त नहीं की जायेगी ।
- ❖ परियोजना अधिकारी (अनुविभागीय कृषि अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, विषय वस्तु विशेषज्ञ वर्ग-2, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड प्रीमरी में से) के नाम का अनुमोदन तथा जलग्रहण क्षेत्र का चयन करना ।
- ❖ योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना । परियोजना अधिकारियों को किसी भी संरचना जिसकी लागत 2=00 लाख तक है कि लिए तकनीकी स्वीकृति देने के लिए सक्षम होंगे । रुपये 2=00 लाख से अधिक की संरचना के लिए तकनीकी स्वीकृति के लिए पूर्ण अधिकारी जिला स्तरीय तकनीकी समिति को होंगे ।

जिला स्तरीय सलाहकार समिति निम्नानुसार होगी—

1	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2	संसद तथा विधायकगण	सदस्य
3	जिला पंचायत उपाध्यक्ष	सदस्य
4	समस्त जनपद पंचायत अध्यक्ष	सदस्य
5	कलेक्टर	सदस्य
6	जिला स्तरीय तकनीकी समिति के समस्त सदस्य	सदस्य

तकनीकी समिति निम्नवत् होगी—

1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन	सदस्य
3	वन मंडल अधिकारी सामान्य	सदस्य
4	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	सदस्य
5	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें	सदस्य
6	सहायक संचालक उद्यान	सदस्य
7	परियोजना क्रियान्वयन दल के समस्त परियोजना अधिकारी	सदस्य
8	तकनीकी संस्थाओं के अधिकारी	सदस्य
9	सेवा निवृत्त वरिष्ठ शासकीय अधिकारी (विशेषज्ञ कृषि, उद्यानिकी एवं वन संकायों से) जो जलग्रहण विकास कार्यक्रम में रुचि रखते हो ।	सदस्य
10	उप संचालक कृषि	संयोजक सदस्य

मेन्युअल 9—अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका—

क	नाम	पदनाम	एस टी डी कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री के० एल० कोष्टा	उप संचालक कृषि	07812	222018	227998		agridam@mp.nic.in	चेतना केन्द्र दमोह गैस एजेसी के पास दमोह
2	श्री एम० आर० अहिरवार	सहायक संचालक कृषि	07812	222018				हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, विवेकानंद नगर दमोह
3	श्री पी० एल० गुप्ता	सहायक संचालक कृषि	07812	222018	223418			न्यू हाऊसिंग बोर्ड कालोनी दमोह
4	श्री सी० के० साहू	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	07812	222018	225059			वैशाली नगर दमोह
5	श्री ए० एस० ठाकुर	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	07812	222018				वसुन्धरा नगर सेन्ट्रल स्कूल के सामने दमोह
6	श्री जी० पी० बेन	कृषि विकास अधिकारी	07812	222018	226986			तीन गुल्ली चौराहा गांधी आश्रम के पास दमोह
7	श्री ए० एल० गुप्ता	कृषि विकास अधिकारी	07812	222018	223747			सागर नाका दमोह
8	श्री पी० एस० राजपूत	कृषि विकास अधिकारी	07812	222018	942509 6585			क्रिश्चियन कालोनी दमोह
9	श्री टी० आर० ठाकुर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	07812	222018	228339			एमआईजी-36 विवेकानंद कालोनी, दमोह
10	श्री एम० एस० खान	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	07812	222018	213406			मॉगज स्कूल के पास नया बाजार नं०1 दमोह
11	श्री आर० के० राजपूत	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	07812	222018	225062			श्रीवास्तव कालोनी वैशाली नगर के पास दमोह
12	श्री आर० एस० शर्मा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	07812	222018				डिग्री कॉलेज के पीछे तीन गुल्ली दमोह
13	श्री आर० एस० पाठक	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	07812	222018				सुरेका कालोनी दमोह
14	श्री मुकेश कुमार नामदेव	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	07812	222018	221125			पॉलीटेकनिक कालेज के पास जबलपुर नाका दमोह

क	नाम	पदनाम	एस टी डी कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	श्री एस0 के0 सिंह	फोटो ग्राफर	07812	222018	262831			जबलपुर नाका दमोह
16	श्री एस0 एस0 चौहान	सिनेमा आपरेटर	07812	222018	225310			जबलपुर नाका दमोह
17	श्री जी0 एस0 गुप्ता	सहायक ग्रेड-2	07812	222018				पुराने थाने के पीछे दमोह
18	श्रीमति वीणा खांडेकर	सहायक ग्रेड-2	07812	222018				एस.पी.एम.नगर न्यू हाऊसिंग बोर्ड कालोनी दमोह
19	श्री जी0 एस0 ठाकुर	सहायक ग्रेड-3	07812	222018	226309			डॉ. वर्मा के पास फुटेरा वार्ड नं.2 दमोह
20	श्री के0 के0 सोनी	सहायक ग्रेड-3	07812	222018				सिविल वार्ड नं.8 टंडन बगीचा दमोह
21	श्री आर0 के0 खोसला	सहायक ग्रेड-3	07812	222018	989834 00851		rjv_khosla@yahoo.co.in	71, नया बाजार नं. 2 मॉगज स्कूल के सामने दमोह
22	बु0 कविता मिश्रा	सहायक ग्रेड-3	07812	222018	225175			दमोह गैस एजेंसी के पास दमोह
23	श्री प्रकाश सोनी	वाहन चालक	07812	222018				नया बाजार नं.2 प्यासी मंदिर के सामने दमोह
24	श्री राजकुमार मुले	भृत्य	07812	222018				सूर्योदय स्कूल के पीछे जबलपुर नाका दमोह
25	श्री गोविन्द प्र0 रैकवार	भृत्य	07812	222018				धरमकांटा के पीछे सिविल वार्ड दमोह
26	श्री नारायण प्रसाद सैनी	भृत्य	07812	222018				सिविल वार्ड दमोह
27	श्रीमति पुष्पा चढ़ार	भृत्य	07812	222018				डॉ.वर्मा के पास फुटेरा वार्ड नं.2 दमोह

मैनुअल (10) प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति—

क्रमांक	नाम	पदनाम	वेतनमान	कुल मासिक वेतन	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
1	2	3	4	5	6
1	श्री के0 एल0 कोष्ठा	उप संचालक कृषि	10000-15200	18523	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली
2	श्री एम0 आर0 अहिरवार	सहायक संचालक कृषि	8000-13500	12720	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली
3	श्री पी0 एल0 गुप्ता	सहायक संचालक कृषि	8000-13500	14469	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली
4	श्री सी0 के0 साहू	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	5500-9000	13475	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली
5	श्री जी0 पी0 बेन	कृषि विकास अधिकारी	5000-8000	10335	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली
6	श्री ए0 एल0 गुप्ता	कृषि विकास अधिकारी	5000-8000	9938	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली
7	श्री पी0 एस0 राजपूत	कृषि विकास अधिकारी	5000-8000	10574	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली
8	श्री टी0 आर0 ठाकुर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	4500-7000	10933	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली
9	श्री एम0 एस0 खान	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	4500-7000	10138	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली
10	श्री आर0 के0 राजपूत	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	4500-7000	9939	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली
11	श्री आर0 एस0 शर्मा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	4500-7000	9581	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली
12	श्री आर0 एस0 पाठक	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	4500-7000	10734	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली
13	श्री मुकेश कुमार नामदेव	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	4500-7000	9581	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली
14	श्री एस0 के0 सिंह	फोटोग्राफर	5000-8000	10136	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली
15	श्री एस0 एस0 चौहान	सिनेमा आपरेटर	3500-5200	7496	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली
16	श्री जी0 एस0 गुप्ता	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	8636	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली
17	श्रीमति वीणा खांडेकर	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	6678	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली
18	श्री जी0 एस0 ठाकुर	सहायक ग्रेड-3	3500-5200	8109	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली
19	श्री के0 के0 सोनी	सहायक ग्रेड-3	3500-5200	7346	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली
20	श्री राजीव खोसला	सहायक ग्रेड-3	3500-5200	6201	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली
21	कुमारी कविता मिश्रा	सहायक ग्रेड-3	3500-5200	6837	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली

क्रमांक	नाम	पदनाम	वेतनमान	कुल मासिक वेतन	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
1	2	3	4	5	6
22	श्री प्रकाश सोनी	वाहन चालक	3500-5200	6318	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली
23	श्री राजकुमार मुले	भृत्य	2750-4400	5555	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली
24	श्री गोविन्द प्रसाद रैकवार	भृत्य	2750-4400	5348	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली
25	श्री नारायण प्रसाद सेनी	भृत्य	2610-3540	4927	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली
26	श्रीमति पुष्पा चढ़ार	भृत्य	2550-3200	4831	म0प्र0 मूलभूत (वेतन निर्धारण) नियमावली

मैनुअल(11) प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (सभी योजना व्यय प्रस्तावों तथा धनवितरण की सूचना अन्य अभिकरणों के लिये)

क्र०	इकाई	नान प्लान						प्लान		
		योजना का नाम एवं मांग संख्या 13-2401-001-119 अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द		योजना का नाम एवं मांग संख्या 13-2401-102 3142 भूमि संरक्षण कटाव रोधक बंधान योजना		योजना का नाम एवं मांग संख्या 13-2401-001-0898 कृषि प्रदर्शन एवं बीज फार्म		योजना का नाम एवं मांग संख्या 13-2401-3733 राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना		
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	
11		वेतन भत्ते आदि-								
	001	वेतन	39.60	26.66	34.37	15.02	2.10	1.28	63.00	36.18
	002	कार्यभारित /आकस्मिक सेवा कर्मचारी का वेतन	0.00	0.0	0.40	0.18	0.00	0.0	0.00	0.52
	003	महंगाई भत्ता	19.80	15.74	32.14	8.20	1.00	0.70	32.76	23.76
	006	मकान किराया भत्ता	0.70	0.73	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	1.05
	008	अन्य भत्ते	1.33	0.59	1.09	0.05	0.08	0.00	2.22	0.93
	009	चिकित्सा व्यय प्रति पूर्ति	0.79	0.65	0.20	0.16	0.01	0.03	0.00	0.00
12		मजदूरी	0.68	0.61	0.50	0.25	4.00	0.00	0.50	0.39
21	001	यात्रा भत्ता	0.78	0.35	0.85	0.81	0.00	1.21	0.15	0.10
22		कार्यालय व्यय								
	001	डाक एवं तार व्यय	0.04	0.04	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.01
	002	दूरभाष व्यय	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.06
	003	फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	पुस्तके एवं नियतकालिक पत्रिकायें	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	बिजली एवं जल प्रभार	0.18	0.16	0.12	0.10	0.00	0.00	0.18	0.12
	006	वर्दिया	0.03	0.02	0.06	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	007	लेखन सामग्री एवं फार्म	0.06	0.06	0.10	0.09	0.00	0.00	0.03	0.02
	008	अन्य आकस्मिक व्यय	0.03	0.03	0.04	0.02	0.00	0.00	0.12	0.11
	009	पेट्रोल तेल आदि	0.21	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	011	किराया महसूल और स्थानीय कर	0.00	0.00	0.92	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	012	मुद्रण एवं प्रकाशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33		अनुरक्षण कार्य								
	001	स्थाई सम्पत्तियों का अनुरक्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
	002	मशीन उपकरण का अनुरक्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
	003	वाहन का अनुरक्षण	0.01	0.00	0.00	0.00	0.66	0.48	0.15	0.14
34		सामग्री एवं पूर्तियों	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.76	0.00	0.00
35		विज्ञापन एवं प्रचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	007	सहायक अनुदान अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल योग-	64.29	37.79	70.83	25.79	9.08	4.46	99.23	63.39

**मैन्युअल(12) विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम, आवंटन, व्यय एवं हितग्राही की जानकारी—
हितग्राही चयन**

- समस्त योजनाओं में (निर्माण कार्य योजनाओं को छोड़कर) लघु सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी ।
- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विगत वर्ष से डेढ़ गुना हितग्राहियों की सूची तैयार करेंगे । पूर्व वर्षों में लाभान्वित कृषकों के नाम सूची में शामिल नहीं किये जावेगें ।
- वरीयता सूची में अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु सीमांत कृषकों के नाम सबसे ऊपर रहेंगे तथा सूची वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी ।
- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्राप्त सूची का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थाई समिति से लेंगे । अनुमोदित सूची में पहले लिखे नामों को वरीयता दी जावेगी । शेष कृषक प्रतिक्षा सूची में रहेंगे । प्रतिक्षा सूची फसल मौसम की अवधि तक मान्य होगी । अनुमोदित सूची उप संचालक कृषि को प्रस्तुत की जावेगी ।
- अतः जिले की एकजाई सूची उप संचालक कृषि द्वारा जिला कृषि स्थाई समिति से अनुमोदित कराई जावेगी ।

योजनावार, आवंटन—व्यय एवं लाभान्वित हितग्राही —

स्थिति —सितम्बर 2005

क्रम	योजना का नाम	आवंटन	व्यय	लाभान्वित कृषक संख्या
1	2	3	4	5
1	राष्ट्रीय दलहन विकास योजना	835000	9335	599
2	राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना	2250000	30808	1899
3	मेला एवं प्रदर्शनी	0	0	0
4	एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम(मोटा अनाज)	225000	15450	0
5	उर्वरकों का संतुलित उपयोग	153062	0	0
6	एकीकृत जीव नाशी प्रबंधन	206640	0	0
7	राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2700000	2700000	1307
8	कृषि यांत्रिकीकरण	60000	0	93
9	विपुल उत्पादन कार्यक्रम	0	0	0
10	जैविक एवं टिकाऊ खेती	0	0	0
11	कृषि विस्तार परि० एवं प्रशिक्षण	10000	0	0
12	बीजों की अदला-बदली कार्यक्रम	0	0	0
13	भूजल संबंधन योजना	505000	0	0
14	लघुत्तम सिंचाई योजना	3220000	0	228
15	नलकूप खनन योजना	1200000	192000	19
16	सूरजधारा योजना	970000	413770	326
	सूरजधारा योजना केन्द्र	0	0	
17	अन्नपूर्णा योजना	595000	431250	597
	अन्नपूर्णा योजना केन्द्र	700000	0	
18	सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	0	0	0
19	माड़ा योजना	0	0	0
20	मक्का विकास योजना	30000	0	60
21	फसल बीमा योजना एवं प्रशिक्षण	0	0	7644

मैन्युअल (13) हितग्राहियों को दी जाने वाली सुविधायें—

(1) एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (चावल)

कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
प्रजनक बीज की खरीदी	बीज की कीमत का 25 प्रतिशत, अधिकतम रू. 2000 प्रति क्विंटल, जो भी कम हो ।
बीजोत्पादन पर सहायता	
अ— आधार बीज	प्रजनक से आधार बीज उत्पादन पर रू. 200 प्रति क्विंटल ।
ब— प्रमाणित बीज	आधार बीज से प्रमाणित बीज उत्पादन पर रू. 200 प्रति क्विंटल (कृषक के लिए रू. 150 तथा उत्पादक संस्था के लिए रू. 50)
प्रमाणित बीज वितरण	
अ— आधार बीज	10 वर्ष के अन्दर अधिसूचित उन्नत किस्मों पर रू. 200 प्रति क्विंटल अनुदान ।
ब— प्रमाणित बीज	10 वर्ष के अन्दर अधिसूचित उन्नत किस्मों के बीज वितरण पर रू. 200 प्रति क्विंटल तथा संकर धान बीज वितरण पर रू.500 प्रति क्विंटल अनुदान ।
एकीकृत तत्व प्रबंधन	जिंक सल्फेट/ जिप्सम/ पायराईट के उपयोग के लिए कीमत का 25 प्रतिशत या रू. 500 प्रति हैक्टर, जो भी कम हो ।
पौध संरक्षण	
अ— स्प्रेयर/ डस्टर	हस्तचलित यंत्र की कीमत का 25 प्रतिशत या रू. 800 प्रति यंत्र जो भी कम हो । शक्ति चलित यंत्र की कीमत का 25 प्रतिशत या रू. 2000 प्रति यंत्र जो भी कम हो ।
ब— नींदानाशक औषधि	कीमत का 25 प्रतिशत या रू. 500 प्रति हैक्टर, जो भी कम हो ।
बीजोपचार	
अ— बीजोपचार उवा	रू. 50 प्रति हैक्टर ।
ब— बीजोपचार ड्रम	कीमत का 25 प्रतिशत या रू. 500 प्रति ड्रम जो भी कम हो ।
प्रौद्योगिकी प्रदर्शन	अधिकतम रू. 1000 प्रति प्रदर्शन प्रति एकड़ (0.405 हैक्टर) ।
धान खेत की मेढ़ों पर खेती	अरहर के लिए रू. 30, अरंडी के लिए रू. 50 तथा तिल के लिए रू. 15 प्रति मिनिकिट ।
मेढ़ों का निर्माण	वास्तविक कीमत का 25 प्रतिशत, अधिकत रू. 1000 प्रति एकड़ जो भी कम हो ।
स्प्रिंकलर सेट	क—अनुसूचित जाति/ जनजाति/ लघु एवं सीमांत तथा महिला कृषकों को कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 5500 जो भी कम हो । ख—अन्य कृषकों को कीमत का 25 प्रतिशत अथवा रू. 3630 जो भी कम हो ।

प्रशिक्षण	क- राज्य स्तरीय कर्मशाला के आयोजन के लिए अधिकतम रू. 50,000 प्रति कार्यशाला । ख- प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए अधिकतम रू. 28,000 प्रति प्रशिक्षण । (30 प्रशिक्षणार्थियों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण) ग- विस्तार कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण के लिए अधिकतम रू. 20,000 प्रति प्रशिक्षण । घ- कृषक प्रशिक्षण के लिए अधिकत रू. 10,000 प्रति प्रशिक्षण (30 प्रशिक्षणार्थियों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण)
-----------	--

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

क- कृषक भ्रमण	अधिकतम रू. 50,000, 20 कृषक, 12 दिवसीय राज्य से बाहर भ्रमण ।
ख- कृषि जलवायु क्षेत्रवार इंटर फेस	रू. 20,000 प्रति कृषि जलवायु क्षेत्र ।

कम्प्यूनिकेशन सपोर्ट

मुद्रित सामग्री के लिए रू. 25,000 प्रति कृषि जलवायु क्षेत्र । इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए रू. 25,000 अधिकतम ।

(2) राष्ट्रीय तिलहन उत्पादन कार्यक्रम

कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश ।
बीज मिनिक्वट वितरण	10 वर्ष के अन्दर अधिसूचित किस्मों के प्रमाणित / संकर बीजों के मिनिक्वट 100 प्रतिशत अनुदान पर वितरण ।
प्रदर्शन आयोजन	आदान सामग्री की वास्तविक कीमत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू. 2000 प्रति हैक्टर । (कृषक को 1 हैक्टर क्षेत्र का प्रदर्शन दिया जायेगा)
बीजोपचार औषधि उपयोग	सभी तिलहनी फसलों में बीजोपचार औषधि की कीमत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 50 प्रति हैक्टर ।
आई0पी0एम0प्रदर्शन (एकीकृत कीट नियंत्रण)	प्रदर्शन आयोजन पर रू. 1500 प्रति हैक्टर ।
स्प्रिंकलर सेट	क- अनुसूचित जाति/ जनजाति/ लघु एवं सीमांत तथा महिला कृषकों को कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 5500 जो भी कम हो । ख- अन्य कृषकों को कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 3630 जो भी कम हो ।
पौध संरक्षण औषधि/ नींदानाशयक रसायन	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 500 प्रति हैक्टर ।
पौध संरक्षण यंत्र	हस्तचलित यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 800 प्रति यंत्र जो भी कम हो । शक्ति चलित यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 2000 प्रति यंत्र जो भी कम हो ।

उन्नत कृषि उपकरण	हस्त एवं बैल चलित उपकरण की कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. 2000 प्रति उपकरण जो भी कम हो । शक्ति चलित यंत्र की कीमत का 30 प्रतिशत या रू. 10,000 प्रति उपकरण जो भी कम हो ।
जिप्सम पायराइट का वितरण	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 500 प्रति हैक्टर ।
प्रजनक बीज की खरीदी	वास्तविक कीमत की देय राशि संस्थाओं को 100 प्रतिशत ।
बीजोत्पादन पर सहायता	
अ- आधार बीज	10 वर्ष के अन्दर अधिसूचित उन्नत किस्मों पर रू. 200 प्रति क्विंटल अनुदान ।
ब- प्रमाणित बीज	10 वर्ष के अन्दर अधिसूचित उन्नत किस्मों पर रू. 200 प्रति क्विंटल अनुदान । (कृषक के लिए रू. 150 तथा संस्था के लिए रू. 50)
प्रमाणित बीज वितरण	सोयाबीन, मूँगफली के लिए रू. 300 प्रति क्विंटल अनुदान ।
कृषक प्रशिक्षण	30 कृषकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु अधिकतम रू. 10,000 प्रति प्रशिक्षण ।

(3) राष्ट्रीय दलहन उत्पादन कार्यक्रम

कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश ।
बीज मिनिकिट वितरण	0.2 हैक्टर क्षेत्र के लिए मिनिकिट पर 100 प्रतिशत अनुदान ।
प्रदर्शन आयोजन	अरहर, उड़द, मूँग के लिए रू.1500 प्रति हैक्टर, चना के लिए रू. 2000 प्रति हैक्टर और मसूर के लिए रू. 1700 प्रति हैक्टर ।
बीजोपचार औषधि उपयोग	बीजोपचार औषधि की कीमत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 50 प्रति हैक्टर जो भी कम हो ।
आई0पी0एम0 प्रदर्शन	दलहनी फसलों के लिए 10 हैक्टर का प्रदर्शन आयोजन पर रू. 15000 अनुदान ।
स्प्रिंकलर सेट	क- अनुसूचित जाति/ जनजाति/ लघु एवं सीमांत तथा महिला कृषकों को कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 5500 जो भी कम हो । ख- अन्य कृषकों को कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 3630 जो भी कम हो ।
पौध संरक्षण औषधि/ नींदानाशयक रसायन	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 500 प्रति हैक्टर ।
पौध संरक्षण यंत्र	हस्तचलित यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 800 प्रति यंत्र जो भी कम हो । शक्ति चलित यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 2000 प्रति यंत्र जो भी कम हो ।

उन्नत कृषि उपकरण	हस्त एवं बैल चलित उपकरण की कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 2000 प्रति उपकरण जो भी कम हो । शक्ति चलित यंत्र की कीमत का 30 प्रतिशत या रु. 10,000 प्रति उपकरण जो भी कम हो ।
सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 200 प्रति हैक्टर ।
जिप्सम पायराईट का वितरण	सामग्री तथा परिवहन व्यय की वास्तविक कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु.500 प्रति हैक्टर जो भी कम हो ।
प्रमाणित बीज उत्पादन	रु.200 प्रति क्विंटल अनुदान (कृषक के लिए रु.1500 तथा संस्था के लिए रु.50)
प्रमाणित बीज वितरण	चना, मटर और मसूर फसल के लिए रु.300 प्रति क्विंटल ।
कृषक प्रशिक्षण	50 कृषकों के समूह लिए रु. 10,000 प्रति प्रशिक्षण ।
एन0पी0व्ही0 वितरण	कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रु.250 प्रति हैक्टर प्रति कृषक जो भी कम हो ।

(4) एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (मोटे अनाज)

कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
प्रजनक बीज की खरीदी	बीज की कीमत का 25 प्रतिशत, अधिकतम रु. 2000 प्रति क्विंटल, जो भी कम हो ।
बीजोत्पादन पर सहायता	
अ- आधार बीज	प्रजनक से आधार बीज उत्पादन पर रु. 200 प्रति क्विंटल ।
ब- प्रमाणित बीज	आधार बीज से प्रमाणित बीज उत्पादन पर रु. 200 प्रति क्विंटल (कृषक के लिए रु. 150 तथा उत्पादक संस्था के लिए रु. 50)
प्रमाणित बीज वितरण	10 वर्ष के अन्दर अधिसूचित उन्नत किस्मों के गेहूँ जौ बीज पर रु. 200 प्रति क्विंटल, उन्नत ज्वार, बाजरा बीज पर रु. 400 प्रति क्विंटल तथा संकर ज्वार एवं बाजरा पर रु. 1000 प्रति क्विंटल ।
एकीकृत तत्व प्रबंधन	जिंक सल्फेट/ जिप्सम/ पायराईट के उपयोग के लिए कीमत का 25 प्रतिशत या रु. 500 प्रति हैक्टर, जो भी कम हो ।
पौध संरक्षण	
अ- स्प्रेयर/ डस्टर	हस्तचलित यंत्र की कीमत का 25 प्रतिशत या रु. 800 प्रति यंत्र जो भी कम हो । शक्ति चलित यंत्र की कीमत का 25 प्रतिशत या रु. 2000 प्रति यंत्र जो भी कम हो ।
ब- नींदानाशक औषधि	कीमत का 25 प्रतिशत या रु. 500 प्रति हैक्टर, जो भी कम हो ।
बीजोपचार	
अ- बीजोपचार उवा	रु. 50 प्रति हैक्टर ।

ब- बीजोपचार ड्रम	कीमत का 25 प्रतिशत या रू. 500 प्रति ड्रम जो भी कम हो ।
प्रौद्योगिकी प्रदर्शन	अधिकतम रू. 1000 प्रति प्रदर्शन प्रति एकड़ (0.405 हैक्टर) ।
स्प्रिंकलर सेट	क- अनुसूचित जाति/ जनजाति/ लघु एवं सीमांत तथा महिला कृषकों को कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 5500 जो भी कम हो । ख- अन्य कृषकों को कीमत का 25 प्रतिशत अथवा रू. 3630 जो भी कम हो ।
प्रशिक्षण	क- राज्य स्तरीय कर्मशाला के आयोजन के लिए अधिकतम रू. 50,000 प्रति कार्यशाला । ख- प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए अधिकतम रू. 28,000 प्रति प्रशिक्षण । (30 प्रशिक्षणार्थियों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण) ग- विस्तार कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण के लिए अधिकतम रू. 20,000 प्रति प्रशिक्षण । घ- कृषक प्रशिक्षण के लिए अधिकतम रू. 10,000 प्रति प्रशिक्षण (30 प्रशिक्षणार्थियों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण)
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	
क- कृषक भ्रमण	अधिकतम रू. 50,000, 20 कृषक, 12 दिवसीय राज्य से बाहर भ्रमण ।
ख- कृषि जलवायु क्षेत्रवार इंटर फेस	रू. 20,000 प्रति कृषि जलवायु क्षेत्र ।
मेढों पर खेती	अरहर, अरंडी अथवा तिल के लिए अधिकतम रू.30 प्रति मिनिकिट ।
फसल परिवर्तन	ज्वार-बाजरा, उड़द-मूँग, लोबिया-अरहर फसल के लिए रू.100 प्रति चार किलो मिनिकिट ।
अन्तरवर्तीय फसलों को बढ़ावा	उपरोक्त फसलों के अतिरिक्त गेहूँ फसल में सरसों/ अलसी/ मटर शामिल करते हुए रू.60 प्रति 2 किलो बीज मिनिकिट ।
कम्प्यूनिकेशन सपोर्ट	क- मुद्रित सामग्री के लिए रू. 10,000 प्रति कृषि जलवायु क्षेत्र । ख- इलेक्ट्रानिक माध्यम के लिए रू. 58,000 अधिकतम ।
(5) जैविक एवं टिकाऊ कृषि विकास कार्यक्रम	
कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश ।
नील हरित काई/ कल्चर	नील हरित काई पर 25 प्रतिशत अथवा रू.1000 प्रति क्विंटल जो भी कम हो ।
हरी खाद बीज वितरण	कीमत का 25 प्रतिशत अथवा 500 प्रति क्विंटल जो भी कम हो ।
नाडेप फास्फो कम्पोस्टिंग इकाई	प्रति नाडेप/ प्रति कृषक 1.5 क्विंटल रॉक फास्फेट के लिए कीमत का 25 प्रतिशत अथवा रू. 200 जो भी कम हो ।
वर्मी कम्पोस्टिंग इकाई	प्रति इकाई/ प्रति कृषक लागत का 25 प्रतिशत अथवा रू.300 जो भी कम हो ।

कृषक प्रशिक्षण प्रति प्रशिक्षण रू.6000 ।

(6) एकीकृत नाशीजीब प्रबंधन योजना

कार्यक्रम का क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश ।

आई0पी0एम0प्रदर्शन

अ- फसल प्रदर्शन

ब- यांत्रिकीय प्रदर्शन

प्रति हैक्टर लागत का 25 प्रतिशत अथवा रू. 1500 जो भी कम हो ।

प्रकाश प्रपंच की कीमत का 25 प्रतिशत अथवा रू. 600 जो भी कम हो ।

आई0पी0एम0प्रदर्शन—सह प्रशिक्षण

एक गाँव या लगे हुए गाँव में 40 हैक्टर के समूह में प्रदर्शन सह प्रशिक्षण के आयोजन पर रू. 6000 का अनुदान ।

जैविक कीटनाशक उपयोग

कीमत का 25 प्रतिशत अथवा रू. 500 प्रति हैक्टर जो भी कम हो ।

कृषक प्रशिक्षण

प्रति कृषक प्रशिक्षण पर रू.6000 ।

(7) सूरजधारा योजना

कार्यक्रम का क्षेत्र

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश ।

बीज की अदला-बदली

कृषक द्वारा दिये गये अलाभकारी फसलों के बीज के बदले लाभकारी दलहनी/ तिलहनी फसलों का उन्नत बीज (एक हैक्टर की सीमा तक) प्रदान किया जायेगा । कृषक को उसके बीज के बराबर उसी फसल का उन्नत बीज (एक हैक्टर सीमा तक) प्रदाय ।

अन्य फसल का बीज चाहने पर, प्रमाणित बीज के वास्तविक कीमत के 25 प्रतिशत मूल्य का बीज अथवा नगद राशि कृषक को देनी होगी ।

बीज स्वावलम्बन

कृषक की धारित कृषि भूमि के 1/ 10 के क्षेत्र के लिए आधार/ प्रमाणित बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय ।

बीज उत्पादन

तिलहनी/ दलहनी फसलों के उन्नत किस्मों के बीज उत्पादन के लिए चुने 43 शासकीय प्रक्षेत्रों के 10 किलोमीटर परिधि में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों के खेतों पर (कम से कम आधा एकड़ क्षेत्र) बीज कार्यक्रम लिया जायेगा । कृषक को आधार/ प्रमाणित -1 श्रेणी का बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जायेगा । बीज प्रमाणीकरण के लिए लगने वाला व्यय शासकीय अनुदान के रूप में देय । उत्पादित प्रमाणित बीज का आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषकों को निर्धारित कीमत पर वितरण ।

(8) अन्नपूर्णा योजना

कार्यक्रम का क्षेत्र

बीज अदला-बदली एवं बीज स्वावलम्बन कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों तथा बीज उत्पादन कार्यक्रम चुने हुए 43 शासकीय प्रक्षेत्रों के 10 किलोमीटर की परिधि में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लघु / सीमांत कृषकों के लिए क्रियान्वित ।

बीज की अदला-बदली

कृषक द्वारा दिये गये अलाभकारी फसलों के बदले एक हैक्टर की सीमा तक अनाज फसलों के उन्नत बीज का प्रदाय । प्रदाय बीज पर 75

बीज स्वावलम्बन प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 1500 । कृषक के पास बीज उपलब्ध नहीं होने पर प्रदाय बीज की 25 प्रतिशत राशि नगद ली जाती है ।
कृषक की धारित कृषि भूमि के 1/ 10 के क्षेत्र के लिए आधार/ प्रमाणित बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय ।

बीज उत्पादन चुने 43 शासकीय प्रक्षेत्रों के 10 किलोमीटर परिधि में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों के खेतों पर (कम से कम आधा एकड़ क्षेत्र) बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जायेगा । कृषक को आधार/ प्रमाणित -1 श्रेणी का बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जायेगा । अधिकतम एक हैक्टर तक अनुदान की पात्रता । बीज प्रमाणीकरण के लिए लगने वाला व्यय शासकीय अनुदान के रूप में देय । उत्पादित प्रमाणित बीज का आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषकों को निर्धारित कीमत पर वितरण ।

(9) राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना

कार्यक्रम का क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश ।

संयंत्र निर्माण पर अनुदान केन्द्र शासन द्वारा हितग्राहियों को 1 से 10 घनमीटर क्षमता के संयंत्र के निर्माण पर निम्नानुसार अनुदान देय है—
अ— अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ लघु / सीमांत / भूमिहीन श्रमिकों को रू. 2300 प्रति संयंत्र ।
ब— अन्य कृषकों को रू. 1800 प्रति संयंत्र ।

(10) नलकूप खनन

कार्यक्रम का क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश ।

नलकूप खनन सफल/ असफल नलकूप खनन पर अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषकों के लिए लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू. 15,000 जो भी कम हो अनुदान देय ।

नलकूप पर पम्प स्थापना सफल नलकूप पर पम्प स्थापना हेतु अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषकों के लिए लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू. 9,000 जो भी कम हो अनुदान देय ।

(11) कृषक भ्रमण कार्यक्रम

कार्यक्रम का क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश ।

राज्य के अन्दर कृषक भ्रमण 30 कृषकों को 7 दिवसीय भ्रमण के लिए रू. 48,000 ।

राज्य के बाहर कृषक भ्रमण 20 कृषकों को 12 दिवसीय भ्रमण के लिए रू. 50,000 ।

राज्य के बाहर स्टॉफ भ्रमण 10 कर्मचारियों के 12 दिवसीय भ्रमण हेतु रू. 46,000 ।

10 अधिकारियों के 12 दिवसीय भ्रमण हेतु रू. 55,000 ।

(12) परकोलेशन टैंक निर्माण

कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश ।
परकोलेशन टैंक	लघुत्तम सिंचाई योजना एवं भूजल संबंधन योजना के अन्तर्गत भूमिगत जल वृद्धि के लिए परकोलेशन टैंक (अधिकतम लागत रु. 5 लाख) का निर्माण । यह निर्माण शासकीय भूमि पर शासन व्यय से किये जाते हैं ।

(13) राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना

योजनान्तर्गत विकासखंड में 500 हैक्टर क्षेत्र का 1-1 माइको जलग्रहण क्षेत्र का चयन । इसकी सम्पूर्ण कृषि योग्य, अकृषि योग्य भूमि एवं जल निकास प्रणाली का उपचार वानस्पतिक उपायो द्वारा स्थानीय कृषकों एवं हितग्राहियों की सहभागिता से किया जा रहा है ।

सभी कार्य स्वीकृत जलग्रहण विकास योजना के अनुसार पूर्णतः शासकीय व्यय से सम्पन्न । चयनित जलग्रहण क्षेत्र के कृषकों की भूमि पर किये जाने वाले कार्यों तथा हितग्राहियों को वित्तीय सुविधा ।

(14) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश ।
प्रीमियम अनुदान	परिभाषित क्षेत्र में निर्धारित फसल का बीमा कराने वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों को बीमा प्रीमियम में 20 प्रतिशत अनुदान ।
अधिसूचित फसलें	खरीफ— धान (सिंचित/ असिंचित) ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, तिल मूँगफली, सोयाबीन, अरहर, कपास और केला । रबी— गेहूँ (सिंचित/ असिंचित) चना, राई, सरसों, अलसी, प्याज ।

(15) कृषि विस्तार परियोजना

विभागीय विस्तार अधिकारी/ कर्मचारी निर्धारित दिवसों में निर्धारित हारों/ भ्रमण में पहुँचकर कृषकों से सम्पर्क कर उन्हें अनुसंधानों द्वारा विकसित की गई उन्नत कृषि प्रणालियों की समझाईश देकर अपनाने हेतु प्रेरित करते हैं । इसके साथ ही मौके पर उनकी समस्याओं का यथा सम्भव निराकरण भी करते हैं ।

इसके अतिरिक्त खरीफ एवं रबी के पूर्व कृषि पखवाड़ों का आयोजन कर कृषकों को उन्नत कृषि प्रणाली अपनाने हेतु कार्यक्रम का निर्धारण किया जाता है ।

किसान बन्धु योजना अन्तर्गत चयनित कृषक को प्रशिक्षित कर विस्तार कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है ।

(16) आइसोपॉम योजना

कार्यक्रम का क्षेत्र

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश ।

कार्यक्रम का उद्देश्य

आइसोपॉम योजनान्तर्गत दलहन, तिलहन एवं मक्का विकास की योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं । योजना के मापदण्ड के तहत केन्द्र शासन से निर्धारित अनुदान दिया जाता है ।

आइसोपॉम योजना (दलहन, तिलहन एवं मक्का योजना) के तहत अनुदान/ सहायता निम्नवत् है—

क्रम	घटक का नाम	अनुदान/ सहायता
1	2	3
1	बीज उत्पादन	आधार बीज उत्पादन रुपये 200 प्रति क्विंटल प्रमाणित बीज उत्पादन रुपये 200 प्रति क्विंटल ।
2	बीज वितरण	कुल कीमत का 30 प्रतिशत या रुपये 300 प्रति क्विंटल जो भी कम हो ।
3	बीज मिनी किट वितरण	शत प्रतिशत अनुदान ।
4	मूंगफली फसल के लिये पालीथिन मल्व का प्रदर्शन	रुपये 700 (जिसमें रुपये 3000 पालीथिन मूल्य की राशि शामिल है) प्रति हैक्टर अनुदान ।
5	सरसों	ट्राईकोडर्मा, नीम 1500, काईसोपर्ला नीम 1500 अधिकतम रुपये 930 प्रति हैक्टर ।
6	मूंगफली	ट्राईकोडर्मा, काईसोपर्ला एन पी व्ही-एस एल ट्रेप+ल्योर नीम 1500, एन पी व्ही एस एल ल्योर, बी टी पर अधिकतम रुपये 1627.50 प्रति हैक्टर ।
7	सोयाबीन	ट्राईकोडर्मा, काईसोपर्ला एन पी व्ही-एस एल ट्रेप+ल्योर नीम 1500, ल्योर पर अधिकतम रुपये 428 प्रति हैक्टर ।
8	चना	ट्राईकोडर्मा, नीम 1500, ट्रेप+ल्योर एन पी व्ही, ल्योर, बी टी पर अधिकतम रुपये 1140 प्रति हैक्टर ।
9	अरहर	ट्राईकोडर्मा, नीम 1500, एन पी व्ही, ल्योर, बी टी पर अधिकतम रुपये 747.50 प्रति हैक्टर ।
10	सूरजमुखी	ट्राईकोडर्मा, काईसोपर्ला एन पी व्ही बी टी पर अधिकतम रुपये 1230 प्रति हैक्टर ।
11	मक्का	ट्राईकोडर्मा काईसोपर्ला बी टी राशि रुपये 1480 प्रति हैक्टर ।
12	पौध संरक्षण औषधि	कीमत का 50 प्रतिशत या 500 रुपये जो भी कम हो ।
13	पौध संरक्षण यंत्र अ-हस्त/बैल चलित ब-शक्ति चलित	कीमत का 50 प्रतिशत या रुपये 800 प्रति यंत्र जो भी कम हो । कीमत का 50 प्रतिशत या रुपये 2000 प्रति यंत्र जो भी कम हो ।
14	नींदा नाशक दवा	कीमत का 50 प्रतिशत या रुपये 500 प्रति हैक्टर जो भी कम हो ।
15	बीजोपचार दवा	कीमत का 50 प्रतिशत या रुपये 50 प्रति हैक्टर जो भी कम हो ।
16	न्युक्विलयर पालीहिड्रोसिस वायरस (एन.पी.व्ही.)	कीमत का 50 प्रतिशत या रुपये 250 प्रति हैक्टर जो भी कम हो ।

क्रम	घटक का नाम	अनुदान/ सहायता
1	2	3
17	जिप्सम पायराइट डोलोमिट वितरण	कीमत का 50 प्रतिशत (सामग्री तथा परिवहन सहित)या रुपये 500 प्रति हैक्टर जो भी कम हो ।
18	स्प्रिंकलर सेट वितरण	अ- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु सीमांत/महिला कृषकों को कीमत का 50 प्रतिशत या रुपये 5500 प्रति सेट जो भी कम हो । ब- अन्य श्रेणी के कृषकों को कीमत का 33 प्रतिशत या रुपये 3650 प्रति सेट जो भी कम हो ।
19	कृषक प्रशिक्षण	50 कृषकों के समूह को दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु राशि 15000 रुपये प्रति प्रशिक्षण ।
20	सिंचाई स्रोत से खेत तकक पानी की सुविधा हेतु पाईप लाईन	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु सीमांत/महिला कृषकों को रुपये 3630, 210मीटर लंबी पाईपलाईन(35 पाईप 6 मीटर प्रति पाईप 75 मि.मी. व्यास आई.एस. 12786-1989 अथवा आई.एस. 14151-1994) एच.डी.पी.ई. पाईप ।
21	अधिकारियों का प्रशिक्षण	इस प्रशिक्षण में 30 अधिकारियों को दो दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उन पर राशि रुपये 16000 का व्यय किया जाता है ।

(17) मिट्टी परीक्षण योजना

कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
कार्यक्रम का उद्देश्य	कृषकों के खेतों में मौजूद सूक्ष्म तत्वों की मात्रा ज्ञात कर पोषक तत्वों की सिफारिश के अनुसार किसानों को मिट्टी नमूनों की जाँच का परिणाम उपलब्ध कराना ।
अनुदान/सहायता का विवरण	शासन द्वारा किसानों के खेतों की मिट्टी के सूक्ष्म तत्व विश्लेषण करने हेतु सामान्य कृषकों के लिए रुपये 40=00 प्रति नमूना तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए रुपये 30=00 प्रति नमूना शुल्क तय किया गया है । मुख्य तत्वों के विश्लेषण हेतु सामान्य कृषकों के लिए रुपये 5=00 प्रति नमूना तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कृषकों के लिए रुपये 3=00 प्रति नमूना शुल्क तय किया गया है ।

नोट— उपरोक्त समस्त योजनाओं के मापदण्डों में समय-समय पर शासन/ विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है ।

उपरोक्त समस्त योजनाओं के लिए आवेदन पत्र ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत किए जावेंगे । आवेदन पत्र की कोई शुल्क नहीं ली जावेगी ।

आवेदन का प्रारूप

(समस्त योजना हेतु आवेदन)

जिला.....विकास खंड.....

अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन-पत्र

प्रति,

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी

.....

विकास खंड

द्वारा:- उचित माध्यम (द्वारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी.....)

निवेदन है कि मैं कृषकआत्मज.....ग्राम.....

विकासखंड.....जिला..... योजना..... के

अंतर्गत मेरे स्वामित्व की भूमि.....रकबा.....खसरा क्रमांक.....में.....

योजनाका लाभ लेना चाहता हूँ ।

मैं योजना के प्रावधान के अनुसार कृषि विभाग के अधिकारियों की सलाह से कार्य करूंगा ।

अतः निवेदन है कि मुझे योजना में प्रस्तावित वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप अनुदान स्वीकृत किया जावे ।

मैं, यह वचन देता हूँ कि अनुदान राशि का उचित उपयोग करूंगा । अनुदान राशि के अनुचित उपयोग करने की दशा में मुझे दी गई अनुदान की समस्त राशि का एक मुश्त राजस्व की बकाया राशि के रूप में विभाग द्वारा वसूल कर ली जावे ।

गवाह के हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर कृषक.....

स्थान-

दिनांक-

संलग्नो की सूची :-खसरा पांचसाला एवं नक्शा ।

प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहीं सम्पर्क करें-

क्षेत्र के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं उप संचालक कृषि दमोह कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

मैनुअल (13) हितग्राहियों को दी जाने वाली सुविधायें—

SN.	Categories	Hard Copy	Electronic form
1-	समस्त योजनाओं के हितग्राहियों की सूचियाँ	संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध	NIL
2-	मासिक आय-व्यय पत्रक	जिले का	Yes
3-	कार्यालयीन वेतन देयक	कार्यालय उ०सं०कृ०दमोह	Yes
4-	स्थापना संबंधी सेट अप जानकारी	जिले का	Yes
5-	योजनाओं की मासिक जानकारी	जिले की एकजाई	Yes

मैनुअल (15) आम नागरिक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु सुविधायें—

SN.	Facility	Name of Incharge	Duration of opening (time to be given)	Contact No. Telephone No.
	NIL	NIL	NIL	NIL

विभाग द्वारा कृषकों को सामायिक सलाह एवं योजनाओं की जानकारियाँ समय-समय पर अखबारों, प्रदर्शनी, मेला, पम्पलेट एवं फोल्डर के माध्यम से दी जाती है ।

जिले की जानकारी हेतु बेबसाइट— www.damoh.nic.in

कृषि विभाग की बेबसाइट— www.agrimp.nic.in

मैन्युअल (16) लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी—

सहायक लोक सूचना अधिकारी

क	नाम	पदनाम	एस.टी. डी कोड	दूरभाष		ई-मेल	पता
				कार्यालय	निवास		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री सी0 के0 साहू	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	07812	222018	225059	agridam@mp.nic.in	वैशाली नगर कालोनी, सेन्ट जोन्स स्कूल के पास दमोह म0प्र0

लोक सूचना अधिकारी

क	नाम	पदनाम	एस.टी. डी कोड	दूरभाष		ई-मेल	पता
				कार्यालय	निवास		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री एम0आर0अहिरवार	सहायक संचालक कृषि	07812	222018	98263 57305	agridam@mp.nic.in	MIG-165 विवेकानंद नगर हाऊसिंग बोर्ड कालोनी दमोह

विभागीय अपीलेंट अथोरिटी

क	नाम	पदनाम	एस.टी. डी कोड	दूरभाष		ई-मेल	पता
				कार्यालय	निवास		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री के0एल0कोष्टा	उप संचालक कृषि	07812	222018	227998	agridam@mp.nic.in	चेतना केन्द्र, दमोह गैस एजेंसी के पास दमोह

राज्य कृषि विभाग

लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी

कार्यालय का नाम एवं पता	सहायक लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
कृषि संचालनालय, विन्ध्याचल भवन, द्वितीय तल भोपाल म0प्र0	श्री एस0एन0एस0मेहरा उप संचालक कृषि कृषि संचालनालय म0प्र0 भोपाल दूरभाष— 2551279 (कार्यालय) 2555707 (निवास)	श्री डी0एस0कुशवाहा अपर संचालक कृषि कृषि संचालनालय म0प्र0 भोपाल दूरभाष— 2573110 (कार्यालय) 9893093449 (मोबाइल)	श्री एल0 पी0 पटेल संचालक कृषि कृषि संचालनालय म0प्र0 भोपाल दूरभाष— 2551336 (कार्यालय) 2612650 (निवास)

जिला कृषि विभाग के अधीनस्थ

लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी

कार्यालय का नाम एवं पता	सहायक लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
अनुविभागीय कृषि अधिकारी, दमोह	श्री व्ही0के0जैन विषय वस्तु विशेषज्ञ वर्ग-3 कार्या0अनु0कृषि अधि0दमोह	श्री एम0के0प्रजापति अनुविभागीय कृषि अधिकारी दमोह	श्री के0 एल0 कोष्टा उप संचालक कृषि दमोह फोन- 07812-222018
अनुविभागीय कृषि अधिकारी, हटा	श्री व्ही0पी0खरे सहायक सांख्यिकीय अधिकारी कार्या0अनु0कृषि अधि0दमोह	श्री पी0एल0गुप्ता अनुविभागीय कृषि अधिकारी हटा	श्री के0 एल0 कोष्टा उप संचालक कृषि दमोह फोन- 07812-222018
सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी दमोह	श्री आर0के0जैन कृषि विकास अधिकारी कार्या0स0भू0सं0अ0दमोह	श्री आर0एस0इंदुरिया सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी दमोह	श्री के0 एल0 कोष्टा उप संचालक कृषि दमोह फोन- 07812-222018
सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी हटा	श्री पी0एस0ठाकुर कृषि विकास अधिकारी कार्या0स0भू0सं0अ0हटा	श्री आर0एस0इंदुरिया सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी हटा	श्री के0 एल0 कोष्टा उप संचालक कृषि दमोह फोन- 07812-222018
शासकीय कृषि प्रक्षेत्र जबेरा	श्री एम0जी0कोरी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्या0शास0कृषि प्रक्षेत्र जबेरा	श्री के0डी0व्यास प्रक्षेत्र प्रबंधक शासकीय कृषि प्रक्षेत्र जबेरा	श्री एस0एस0ठाकुर आंचलिक प्रबंधक, कृषि जलवायु क्षेत्रीय परियोजना सागर फोन-07582-222810
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी दमोह	श्री आर0जी0असाटी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्या0व0कृ0वि0अ0दमोह	श्री एच0जी0सोनी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी दमोह	श्री एम0के0प्रजापति अनुविभागीय कृषि अधिकारी दमोह
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जबेरा	श्री ए0एल0जैन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्या0व0कृ0वि0अ0जबेरा	श्री डी0के0साहू वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जबेरा	श्री एम0के0प्रजापति अनुविभागीय कृषि अधिकारी दमोह
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तेन्दूखेड़ा	श्री जे0के0जाट ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्या0व0कृ0वि0अ0तेन्दूखेड़ा	श्री एम0एल0ठाकुर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तेन्दूखेड़ा	श्री एम0के0प्रजापति अनुविभागीय कृषि अधिकारी दमोह
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पथरिया	श्री के0सी0जैन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्या0व0कृ0वि0अ0पथरिया	श्री व्ही0एस0रैपुरिया वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पथरिया	श्री एम0के0प्रजापति अनुविभागीय कृषि अधिकारी दमोह
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हटा	श्री पी0एस0यादव ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्या0व0कृ0वि0अ0हटा	श्री बी0बी0लोधी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हटा	श्री पी0एल0गुप्ता अनुविभागीय कृषि अधिकारी हटा
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पटेरा	श्री एस0पी0तिवारी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्या0व0कृ0वि0अ0पटेरा	श्री बी0पी0लोधी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पटेरा	श्री पी0एल0गुप्ता अनुविभागीय कृषि अधिकारी हटा
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बटियागढ़	श्री एस0एस0गर्ग ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्या0व0कृ0वि0अ0बटियागढ़	श्री सी0पी0सिंह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बटियागढ़	श्री पी0एल0गुप्ता अनुविभागीय कृषि अधिकारी हटा

मैनुअल (17) अन्य विषय—

गोकुल ग्राम योजना—

म0प्र0शासन कृषि विभाग के पत्र क्रमांक/ बी-4/ 61/ 2004/ 14-2 भोपाल दिनांक 12/1/2005 के द्वारा प्रदेश में गोकुल ग्राम योजना के क्रियान्वयन के आदेश एवं संकल्प प्रसारित किये गये हैं । इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पॉच-पॉच गोकुल ग्रामों का चयन किया गया है । जिले में चयनित गोकुल ग्राम निम्नानुसार है—

क्रमांक	विधान सभा क्षेत्र	विकासखंड	चयनित गोकुल ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	दमोह	दमोह	गुंजी
2		दमोह	बालाकोट
3		दमोह	बिलाई
4		दमोह	आनू
5		दमोह	आमखेड़ा
6	हटा	हटा	चौरईयों
7		पटेरा	मझगुवां हसंराज
8		हटा	काईखेड़ा
9		हटा	बरखेरा चैन
10		पटेरा	कुसमी पटेरा
11	पथरिया	पथरिया	नंदरई
12		बटियागढ़	केरबना
13		पथरिया	झागरी
14		पथरिया	बोतराई
15		पथरिया	खोजाखेड़ी
16	नोहटा	जबेरा	कलूमर
17		तेन्दूखेड़ा	माड़नखेड़ा
18		जबेरा	हरदुआ सुम्मेरसिंह
19		जबेरा	सुनबराह
20		जबेरा	बीजा डोंगरी

जिले में चयनित गोकुल ग्रामों में बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि, बीज उत्पादन कार्यक्रम, सूखें का मुकाबला करने वाली फसलों की किस्मों को प्रोत्साहन, लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था, जैविक खेती को प्रोत्साहन, औषधि पौधों की खेती को प्रोत्साहन, उन्नत कृषि यंत्रों को प्रोत्साहन, किसानों के खेत में जल संरक्षण एवं संबर्धन की गतिविधियों को प्रेरित करना, पानी के समुचित उपयोग की प्रणालियों जैसे कि— टपक सिंचाई पद्धति का प्रचार-प्रसार, गाँवों के कचड़े व अन्य अपशिष्ट से नाडेप टॉका निर्माण, कृषक प्रशिक्षण, बायोगैस निर्माण आदि गतिविधियाँ क्रियान्वित की जा रही हैं ।

कृषक मित्र प्रशिक्षण योजना—

कृषक मित्र प्रशिक्षण योजना के तहत प्रत्येक ग्राम के एक कृषक को प्रशिक्षण दिया जाना है । इस योजना के तहत जिले में मित्र कृषकों का चयन कर लिया गया है ।

एग्री क्लीनिक व एग्री बिजनेस—

इस योजना के तहत ऐसे कृषि स्नातक/ स्नातकोत्तर छात्रों को 2 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है । इस प्रशिक्षण में उन्हें एग्री क्लीनिक आरंभ करने की शिक्षा दी जाती है । प्रशिक्षण उपरांत इन प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु बैंकों से ऋण भी दिलवाया जाता है ताकि वे अपने क्षेत्र में कृषकों को नवीनतम तकनीक एवं कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि आदानों को उचित मूल्य दिलाकर कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधार कर सकें ।

म0प्र0वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना—

जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्र में कृषि के कार्यक्रमों के विकास हेतु प्रथम चरण में दमोह जिले को समाहित किया गया है । जिले में इस तीन परियोजनायें चयनित की गई है जिसके कार्यक्रम अनुसार बजट प्राप्त हो चुका है । शासन व विभाग की मंशानुरूप योजनाओं में कार्य की जाना है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रपत्र-एक

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (6) (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप)

1. आवेदक का नाम
2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है
3. दूरभाष क्रमांक
4. आवेदन देने का दिनांक
5. कार्यालय का नाम
6. चाही गई जानकारी का विवरण
7. क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना
8. आवेदक के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फी -रूपये 10/- नगद/स्टॉम्प (वीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं) रसीद क्र. एवं दिनांक
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं- हां/नहीं
यदि हां तो वी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक

हस्ताक्षर

(आवेदनकर्ता)

टीप:- यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रूपये 10/- का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प चस्पा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि का डाक टिकिट लगा लिफाफा संलग्न प्रेषित करें।

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक
 2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक
 3. संबंधित शाखा/ अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी
- (लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

पदनाम

(रबर सील)

दिनांक

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रपत्र-दो

आवेदक को उसके द्वारा वांछित नकल/जानकारी/निरीक्षण हेतु निर्धारित शुल्क दिये जाने की सूचना

1. आवेदक का नाम /पता
2. आवेदनकर्ता का संदर्भ
3. विषय/विवरण
4. उपस्थिति दिनांक

विषयांतर्गत सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन में दिनांक के संदर्भ में चाही गई जानकारी हेतु आप निर्धारित शुल्क दिनांक तक जमा कर दस्तावेज/नकल/नमूना दिनांक तक प्राप्त कर लें । यदि दस्तावेज डाक द्वारा चाहते है तो उसके लिये रजिस्टर्ड/यूपीसी/डाक व्यय सहित, स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा साथ में संलग्न करें।

2. शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

वांछित जानकारी का प्रकार	पृष्ठ संख्या/नग/मात्रा	दर	राशि (कालम 2 गुणा 3)
1	2		
कार्य संबंधी दस्तावेज जैसे नक्शा/प्रशासकीय स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति/अनुबंध/इस्टीमेट/आदेश, टीप इत्यादि की प्राप्ति वित्तीय/लेखा संबंधी दस्तावेज इत्यादि सैम्पल अन्य			

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक लोक सूचना अधिकारी
(रबर सील)

टीप:- डाक से आवेदन प्राप्त होने पर प्रपत्र-दो डाक से प्रेषित किया जाएगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
प्रपत्र-तीन
आवेदन पत्र संबंधित विभाग को अंतरित करने संबंधी प्रपत्र

द्वारा-विभाग का नाम/पता

प्रति,

.....

.....

.....

विषय:-

.....

.....

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6) की उपधारा (3) के अंतर्गत श्री
..... से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक को प्राप्त हुआ
परीक्षण उपरांत वस्तुस्थिति आपके विभाग से संबंधित होने के कारण निर्धारित समयावधि (पांच
कार्य दिवस) में आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अंतरित किया जा रहा है।

संलग्न - मूल आवेदन

हस्ताक्षर
लोक सूचना अधिकारी /
सहायक लोक सूचना अधिकारी
(रबर सील)

प्रतिलिपि:-

श्री पिता श्री को सूचित किया
जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक कार्यालय
विभाग से संबंधित होने के कारण दिनांक को
कार्यालय/विभाग को अंतरित कर दिया गया है।

अतः कृपया आगामी कार्यवाही हेतु उक्त कार्यालय/विभाग
से संपर्क करने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर
लोक सूचना अधिकारी /
सहायक लोक सूचना अधिकारी
(रबर सील)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रपत्र-चार

समय-सारणी

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत

1. आवेदन प्राप्त की दिनांक
2. आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्तकर्ता अधिकारी/कर्मचारी अधिकतम दूसरे कार्य दिवस तक संबंधित शाखा को भेज देगा।
3. संबंधित शाखा प्रभारी ऐसे प्राप्त आवेदन से संबंधित अभिलेख अधिकतम तीन कार्यदिवस में लोक सूचना अधिकारी को अपनी टीप सहित प्रेषित करेगा कि ऐसा अभिलेख धारा 8 के अंतर्गत वर्जित तो नहीं है।
शाखा प्रभारी यदि पाता है कि आवेदन उसकी शाखा से संबंधित न होकर या अन्यत्र शाखा या विभाग से संबंधित है तब ऐसी दशा में अधिकतम दूसरे कार्यदिवस तक आवेदन लोक सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी को भेज देगा।
4. लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी ऐसा अभिलेख प्राप्त होने पर अधिकतम तीन कार्य दिवसों में आवेदक को सूचना/प्रतिलिपि/सेम्पल शुल्क अदा करने के लिये निर्धारित प्रारूप में सूचित करेंगे।
5. लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी निर्धारित शुल्क की पूर्ति होने के पश्चात् आवेदन की दिनांक से अधिकतम 30 दिवस की समयावधि में वांछित दस्तावेज/नकल/निरीक्षण/अवलोकन की कार्यवाही कर आवेदक के हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे।
यदि वांछित अभिलेख अन्य कार्यालय/विभाग से संबंधित है तो लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी निर्धारित प्रारूप में मूल आवेदन संबंधित कार्यालय/विभाग को आवेदन की दिनांक से 5 कार्यदिवस में अंतरित कर देंगे। साथ ही आवेदन कर्ता को निर्धारित प्रारूप में अंतरण की सूचना देंगे।